



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2 — अनुभाग 1क

PART II — Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 2] नई दिल्ली, शुक्रवार, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 (शक) [खंड LII
No. 2] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19, 2016/SHRAVANA 28, 1938 (SAKA) [VOL. LII

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2016/28 श्रावण, 1938 (शक)

दि टेक्सटाइल अंडरटेकिंग (नेशनलाइजेशन) लॉज (अमेंडमेंट एंड वेलिडेशन) ऐक्ट, 2014; (2) दि रिपीलिंग एंड अमेंडिंग (सैकेंड) ऐक्ट 2015; (3) दि ब्लैक मनी (अनडिस्कलोज्ड फारेन इंकम एंड असेट्स) एंड इंपोजिशन ऑफ टैक्स ऐक्ट, 2015; (4) दि निगोशिएबल इन्सट्रूमेंट्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2015; (5) दि अटोमिक एनर्जी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2015; (6) दि पेमेन्ट ऑफ बोनस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2015; (7) दि शुगर सेस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2015; (8) दि इलेक्शन लॉज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2016; (9) दि कैरिज बाई एयर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2016; (10) दि सिख गुरुद्वारा (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2016; (11) दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड कास्ट्स) आर्डर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2016; और (12) दि इंडस्ट्रीज (डेवलोपमेंट एंड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2016 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएँगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, August 19, 2016/Shrawana 28, 1938 (Saka)

The translation in Hindi of the following, namely :— The Textile Undertaking (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Act, 2014; (2) The Repealing and Amending (Second) Act, 2015; (3) The Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015; (4) The Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2015; (5) The Atomic Energy (Amendment) Act, 2015; (6) The Payment of Bonus (Amendment) Act, 2015; (7) The Sugar Cess (Amendment) Act, 2015; (8) The Election Laws (Amendment) Act, 2016; (9) The Carriage by Air (Amendment) Act, 2016; (10) The Sikh Gurudwaras (Amendment) Act, 2016; (11) The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2016 and (12) The Industries (Development and Regulation) Amendment Act, 2016 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

कपड़ा उपक्रम (गण्योकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 36)	177
The Textile Undertaking (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Act, 2014	
निरसन और संशोधन (दूसरा) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 19)	181
The Repealing and Amending (Second) Act, 2015	
काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिसंरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 22)	187
The Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015	
प्रक्रान्ति लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 26)	219
The Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2015	
परमाणु ऊर्जा (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 5)	221
The Atomic Energy (Amendment) Act, 2015	
बोनस संदाता (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 6)	223
The Payment of Bonus (Amendment) Act, 2015	
चीनी उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 9)	225
The Sugar Cess (Amendment) Act, 2015	
निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 10)	227
The Election Laws (Amendment) Act, 2016	
विमानवहन (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 12)	229
The Carriage by Air (Amendment) Act, 2016	
सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 21)	231
The Sikh Gurudwaras (Amendment) Act, 2016	
संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 24)	233
The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2016	
उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 27)	235
The Industries (Development and Regulation) Amendment Act, 2016	

**कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन
और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2014
(2014 का अधिनियम संख्यांक 36)**

[17 दिसम्बर, 2014]

पट्टाधृति अवधि पूरा होने पर राष्ट्रीय कपड़ा निगम में निहित पट्टाधृत अधिकारों को
बनाए रखने के लिए रुग्ण कपड़ा-उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974
और कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

राष्ट्रीय कपड़ा निगम जनसाधारण का हितसाधन करता है और उक्त निगम के कब्जे में भूमि बनाए रखता
है;

और विभिन्न अन्य कपड़ा उपक्रमों को समय-समय पर राष्ट्रीयकृत किया गया है और उनकी आस्तियां,
केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित की गई हैं तथा उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा
निगम लिमिटेड को सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर अंतरित की गई हैं;

और कपड़ा उपक्रमों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उक्त कपड़ा उपक्रमों को व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से
धन की बड़ी रकम विनिधान की गई है;

1986 का 1

और केन्द्रीय सरकार सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन
औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा मंजूर की गई पुनरुज्जीवन स्कीम के अधीन राष्ट्रीय कपड़ा निगम
सहित कतिपय रुग्ण उपक्रमों को पुनरुज्जीवित करने के लिए पहल की है;

और पुनरुज्जीवन स्कीम के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तथा अर्जित कपड़ा उपक्रमों में लोक
विनिधान को संरक्षित करना और केन्द्रीय सरकार में पट्टाधृत अधिकारों के ऐसे निहित होने की प्राप्ति को
सुनिश्चित रूप से स्पष्ट करना आवश्यक है;

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह 24 अक्टूबर, 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

अध्याय 2

रूण कपड़ा-उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 का संशोधन

धारा 3 का संशोधन। 2. रूण कपड़ा-उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल 1974 का 57 अधिनियम कहा गया है) प्रारंभ की तारीख से ही, धारा 3 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी और अंतःस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात्:—

“(3) उपधारा (2) के कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम को किसी रूण कपड़ा-उपक्रम के अंतरित और निहित होते हुए भी, रूण कपड़ा-उपक्रम के पट्टाधृत अधिकार का केन्द्रीय सरकार में, पट्टाधृत भाटकों के संदाय पर, निहित होना बना रहेगा और जब कभी ऐसे पट्टाधृत भाटक या कोई रकम शोध्य और संदेय होती है तो उसको उस सरकार के निमित्त तथा उसकी ओर से राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चुकाया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन रहते हुए, किसी न्यायालय को केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम में निहित संपत्ति का उससे निर्निहितीकरण का आदेश करने की अधिकारिता नहीं होगी।”।

धारा 4 का संशोधन। 3. मूल अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, धारा 4 की उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी और अंतःस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात्:—

“(8) इस तथ्य के होते हुए भी कि पुनरुज्जीवित किए गए किसी रूण कपड़ा-उपक्रम में कपड़ा संक्रियाएं नहीं चल रही हैं, सभी प्रभावों और प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि कपड़ा संक्रियाएं चल रही हैं और कोई वाद या कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या यदि संस्थित की जाती है तो इस आधार पर चलाने योग्य होगी कि उसने रूण कपड़ा-उपक्रम में ऐसे क्रियाकलाप को बन्द कर दिया है।

(9) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार में पट्टाधृत भूमि के समझे गए निहित होने का बना रहना राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधिकारों को, ऐसे किन्हीं पट्टाधृत अधिकारों के संबंध में पश्चात्वर्ती निहितदार के रूप में अभियोजन या प्रतिवाद करने के लिए किसी रीति से प्रभावित, ह्रासित नहीं करेगा या उनके प्रतिकूल नहीं होगा और ऐसी कोई कार्यवाही केवल उस सरकार के अकार्यान्वयन के कारण असफल नहीं होगी।”।

नई धारा 41 का अंतःस्थापन। 4. मूल अधिनियम की धारा 40 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

विधिमान्यकरण। “41. किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2014 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंध, सभी प्रयोजनों के लिए उतने ही प्रभावी होंगे और सदैव उतने ही प्रभावी रहे समझे जाएंगे मानो उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित रूप में इस अधिनियम के उपबंध सभी तात्काल समयों पर प्रवृत्त थे;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय कपड़ा निगम से किसी व्यक्ति को निर्निहित की गई कोई पट्टाधृत संपत्ति, जो कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ से ठीक पहले विद्यमान थी, राष्ट्रीय कपड़ा निगम में सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर उसी प्रकार अंतरित और निहित हो जाएगी या उसका निहित होना बना रहेगा जैसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उक्त संपत्ति के ऐसे निर्निहित होने से पहले

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में निहित थी मानो पूर्वोक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंध सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त थे;

(ग) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, किसी न्यायालय या अधिकरण या प्राधिकरण में, ऐसे न्यायालय या अधिकरण या प्राधिकरण द्वारा दी गई डिक्री या आदेश या निदेश के प्रवर्तन के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाही, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन राष्ट्रीय कपड़ा निगम में निहित उससे ऐसी पट्टाधृत संपत्ति का निर्निहितीकरण का निदेश करते हुए जो कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ से ठीक पहले विद्यमान थी, किसी न्यायालय या अधिकरण या प्राधिकरण में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा फाइल किए गए वचनबंध के होते हुए भी, की जाएगी या उसको चलाया जाएगा और ऐसी पट्टाधृत संपत्ति का, पूर्वोक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन राष्ट्रीय कपड़ा निगम में निहित होना बना रहेगा;

(घ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम में निहित की गई पट्टाधृत संपत्ति के संबंध में, किसी सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के आदेशों के निष्पादन में किसी कुर्की, अभिग्रहण या विक्रय के आदेश के कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम में निहित की गई किसी संपत्ति के किसी अंतरण का, जो कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2014 द्वारा यथा-संशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल है, अकृत और शून्य होना समझा जाएगा और ऐसे अंतरण के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय कपड़ा निगम में निहित होना बना रहेगा।”।

अध्याय 3

कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 का संशोधन

1995 का 39

5. कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 के (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) प्रारंभ की तारीख से ही, धारा 3 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी और अंतःस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात्:—

“(3) उपधारा (2) के कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम को किसी कपड़ा उपक्रम के अंतरित और निहित होते हुए भी कपड़ा उपक्रम के पट्टाधृत अधिकार, केन्द्रीय सरकार में, पट्टाधृत भाटकों के संदाय पर, निहित होना बना रहेगा और जब कभी ऐसे पट्टाधृत भाटक या कोई रकम शोध्य और संदेय होती है तो उसको उस सरकार के निमित तथा उसकी ओर से राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चुकाया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन रहते हुए, किसी न्यायालय को केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम में निहित संपत्ति का उससे निर्निहितीकरण का आदेश करने की अधिकारिता नहीं होगी।”।

6. मूल अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से धारा 4 की उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी और अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

“(8) इस तथ्य के होते हुए भी कि पुनरुज्जीवित किए गए किसी कपड़ा उपक्रम में कपड़ा संक्रियाएं नहीं चल रही हैं, सभी प्रभावों और प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि कपड़ा संक्रियाएं चल रही हैं और कोई वाद या कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या यदि संस्थित की जाती है तो इस आधार पर चलाने योग्य होगी कि उसने कपड़ा उपक्रम में ऐसे क्रियाकलाप को बन्द कर दिया है।

(9) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार में पट्टाधृत भूमि के समझे गए निहित होने का बना रहना राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधिकारों को, ऐसे किन्हीं पट्टाधृत अधिकारों के संबंध में पश्चात्वर्ती निहितदार के रूप में अभियोजन या प्रतिवाद करने के लिए किसी रीति से प्रभावित, हासित नहीं करेगा या उनके प्रतिकूल नहीं होगा और ऐसी कोई कार्यवाही केवल उस सरकार को पक्षकार नहीं बनाने के कारण असफल नहीं होगी।”।

7. मूल अधिनियम की धारा 38 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“39. किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी

धारा 3 का संशोधन।

धारा 4 का संशोधन।

नई धारा 39 का अंतःस्थापन।

विधिमान्यकरण।

बात के होते हुए भी,—

(क) कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2014 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंध, सभी प्रयोजनों के लिए उतने ही प्रभावी होंगे और सदैव उतने ही प्रभावी रहे समझे जाएंगे मानो उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित रूप में इस अधिनियम के उपबंध सभी तात्कालिक समयों पर प्रवृत्त थे;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय कपड़ा निगम से किसी व्यक्ति को निर्निहित की गई कोई पट्टाधृत संपत्ति, जो कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ से ठीक पहले विद्यमान थी, राष्ट्रीय कपड़ा निगम में सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर उसी प्रकार अंतरित और निहित हो जाएगी या उसका निहित होना बना रहेगा जैसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उक्त संपत्ति के ऐसे निर्निहित होने से पहले राष्ट्रीय कपड़ा निगम में निहित थी मानो पूर्वोक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंध सभी तात्कालिक समयों पर प्रवृत्त थे;

(ग) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, किसी न्यायालय या अधिकरण या प्राधिकरण में, ऐसे न्यायालय या अधिकरण या प्राधिकरण द्वारा दी गई डिक्री या आदेश या निदेश के प्रवर्तन के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाही, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन राष्ट्रीय कपड़ा निगम में निहित उससे ऐसी पट्टाधृत संपत्ति का निर्निहितीकरण का निदेश करते हुए, जो कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ से ठीक पहले विद्यमान थी, किसी न्यायालय या अधिकरण या प्राधिकरण में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा फाइल किए गए वचनबंध के होते हुए भी, की जाएगी या उसको चलाया जाएगा और ऐसी पट्टाधृत संपत्ति का, पूर्वोक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन राष्ट्रीय कपड़ा निगम में निहित होना बना रहेगा;

(घ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम में निहित की गई पट्टाधृत संपत्ति के संबंध में, किसी सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के आदेशों के निष्पादन में किसी कुर्की, अभिग्रहण या विक्रय के आदेश के कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम में निहित की गई किसी संपत्ति के किसी अंतरण का, जो कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2014 द्वारा यथा-संशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल है, अकृत और शून्य होना समझा जाएगा और ऐसे अंतरण के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय कपड़ा निगम में निहित होना बना रहेगा।”।

निरसन और
व्यावृत्ति।

8. (1) कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2014 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

2014 का अध्यादेश
संख्यांक 6

(2) कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2014 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

2014 का अध्यादेश
संख्यांक 6

निरसन और संशोधन (दूसरा) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 19)

[14 मई, 2015]

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और कतिपय
 अन्य अधिनियमितियों का संशोधन
 करने के लिए
 अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निरसन और संशोधन (दूसरा) अधिनियम, 2015 है। 2. पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को इसके द्वारा उसके चौथे स्तंभ में वर्णित विस्तार तक निरसित किया जाता है। 3. दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को इसके द्वारा उसके चौथे स्तंभ में वर्णित विस्तार तक तथा रीति से संशोधित किया जाता है। 4. किसी अधिनियमिति का इस अधिनियम द्वारा निरसन किया जाना, किसी ऐसे अधिनियम को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें ऐसी अधिनियमिति को लागू, सम्प्रलिप्त या निर्दिष्ट किया गया है; | संक्षिप्त नाम।

कतिपय
अधिनियमितियों का
निरसन।

कतिपय
अधिनियमितियों का
संशोधन।

व्यावृत्ति। |
|---|--|

और यह अधिनियम, पहले की गई या हुई किसी बात या पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या उसके संबंध में किसी अनुतोष या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या मांग की या उससे निर्मुक्ति या उन्मोचन या पहले से प्रदान किए गए किसी संरक्षण या किसी पिछले कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणामों को प्रभावित नहीं करेगा;

न ही, यह अधिनियम, विधि के किसी सिद्धान्त या नियम, या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, व्यवहार या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रुद्धि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति को इस बात के होते हुए भी प्रभावित करेगा कि उनको क्रमशः, इसके द्वारा निरसित की गई किसी अधिनियमित द्वारा, उसमें या उससे किसी रीति से अभिपुष्ट, मान्य या व्युत्पन्न किया जा सकेगा;

न ही, किसी अधिनियमित का इस अधिनियम द्वारा निरसन, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, किसी अधिकारिता, पद, रुद्धि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, व्यवहार, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात को पुनरुज्जीवित या प्रत्यावर्तित करेगा।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

निरसन

वर्ष	संख्यांक	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
1999	1	भारतीय नियात-आयात बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1998	संपूर्ण
1999	7	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 1998	संपूर्ण
1999	16	संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 1999	संपूर्ण
2000	1	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य क्रष्ण वसूली (संशोधन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	7	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	12	खाद्य निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	15	राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	17	संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	18	संसद् में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) संशोधन अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	22	महापत्तन न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	23	कीटनाशी (संशोधन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	35	सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	39	राज्य वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	44	माल बहुविध परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2000	55	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2000	संपूर्ण
2001	10	चिट फंड (संशोधन) अधिनियम, 2001	संपूर्ण
2001	23	भांडागारण निगम (संशोधन) अधिनियम, 2001	संपूर्ण
2001	27	खाद्य निगम (संशोधन) अधिनियम, 2001	संपूर्ण

वर्ष	संख्यांक	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
2001	38	संघ राज्यक्षेत्र शासन और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2001	संपूर्ण
2001	40	भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2001	संपूर्ण
2001	46	संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2001	संपूर्ण
2001	54	विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2001	संपूर्ण
2002	14	अन्तरराज्यिक जल विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2002	29	संसद् अधिकारी और संसद् में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2002	30	चीनी विकास निधि (संशोधन) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2002	31	संसद् अधिकारी वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2002	34	संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2002	40	साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2002	42	बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2002	51	होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2002	52	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2002	55	परक्राम्य लिखित (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2002	56	संसद् अधिकारी और संसद् में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2002	62	उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2003	7	उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2003	8	उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2003	10	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2003	11	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2002	संपूर्ण
2003	35	दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003	37	आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003	44	संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003	48	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003	51	रेल (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003	58	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2003	59	वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2004	4	आतंकवाद निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण

वर्ष	संख्यांक	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
2004	6	नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2004	9	संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2003	संपूर्ण
2004	16	विदेशियों विषयक (संशोधन) अधिनियम, 2004	संपूर्ण
2004	24	बैंककारी विनियमन (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2004	संपूर्ण
2004	30	प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली (संशोधन) अधिनियम, 2004	संपूर्ण
2005	19	संघ राज्यक्षेत्र शासन और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2005	32	नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2005	40	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (संशोधन) अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2005	45	भांडागारण निगम (संशोधन) अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2005	46	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) (संशोधन) अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2006	2	दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005	संपूर्ण
2006	5	संघ राज्यक्षेत्र शासन और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	6	न्यायालय अवमान (संशोधन) अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	26	भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	40	संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	45	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006	संपूर्ण
2006	54	आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2006	धारा 2 से धारा 5
2007	17	बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	18	राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	30	भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	32	भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	35	अन्तर्राष्ट्रीय जलयान (संशोधन) अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2007	40	वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2007	संपूर्ण
2008	4	चीनी विकास निधि (संशोधन) अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2008	30	संसद् अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2009	5	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2009	11	उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2008	संपूर्ण
2009	20	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009	संपूर्ण

वर्ष	संख्यांक	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
2009	23	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2009	संपूर्ण
2009	48	सौराष्ट्र स्टेट बैंक (निरसन) और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन अधिनियम, 2009	धारा 3 से धारा 11
2010	27	भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	37	संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	41	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2010	43	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010	संपूर्ण
2011	7	भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन अधिनियम, 2011	संपूर्ण
2011	17	भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन अधिनियम, 2011	संपूर्ण
2012	5	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2011	संपूर्ण
2012	8	जीवन बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011	संपूर्ण
2012	11	भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2011	संपूर्ण
2012	26	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2012	संपूर्ण
2012	36	रासायनिक आयुध अभिसमय (संशोधन) अधिनियम, 2012	संपूर्ण
2013	1	प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली (संशोधन) अधिनियम, 2012	संपूर्ण
2013	4	बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012	संपूर्ण
2013	27	वक्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2013	संपूर्ण।

दूसरी अनुसूची
(धारा 3 देखिए)
संशोधन

वर्ष	संख्यांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
2008	11	रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008	धारा 2 में,— (i) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है; (ii) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
2008	22	भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008	धारा 2 में “इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में” शब्दों के स्थान पर “इसके अधीन बनाए गए परिनियमों में” शब्द रखे जाएंगे।

काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 22)

[26 मई, 2015]

काले धन अर्थात् अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियों की समस्या से निपटने के लिए
 ऐसी आय और आस्तियों के संबंध में कार्रवाई करने की प्रक्रिया के लिए उपबंध
 करने तथा भारत के बाहर धारित किसी अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति
 पर कर अधिरोपण का तथा उनसे संबंधित या उनके
 आनुषंगिक विषयों का उपबंध
 करने के लिए
 अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 है।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और प्रारंभ।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) इस अधिनियम में, जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, यह 1 अप्रैल, 2016 को प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएँ। 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) “अपील अधिकरण” से, आय-कर अधिनियम की धारा 252 के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(2) “निर्धारिती” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो आय-कर अधिनियम की धारा 6 के खंड (6) के अर्थात् भारत में मामूली तौर पर ऐसा कोई निवासी न होने से भिन्न कोई निवासी है जिससे अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियों या किसी अन्य धनराशि के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर संदेय है और इसके अंतर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भी है, जिसे इस अधिनियम के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाता है;

(3) “निर्धारण” के अंतर्गत पुनर्निर्धारण भी है;

(4) “निर्धारण वर्ष” से प्रति वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

(5) “बोर्ड” से, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 1963 का 54 अभिप्रेत है;

(6) “आय-कर अधिनियम” से आय-कर अधिनियम, 1961 अभिप्रेत है; 1961 का 43

(7) “सहभागी” से,—

(क) किसी फर्म के संबंध में कोई भागीदार; या

(ख) व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय के संबंध में कोई सदस्य, अभिप्रेत है;

(8) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(9) “पूर्ववर्ष” से,—

(क) किसी कारबार के गठन की तारीख से आरंभ होने वाली और कारबार के बंद होने की तारीख को या ऐसे कारबार के गठन की तारीख के बाद मार्च के इकतीसवें दिन को, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, समाप्त होने वाली अवधि;

(ख) उस तारीख से, जिसको आय का कोई नया स्रोत अस्तित्व में आता है, आरंभ होने वाली और कारबार के बंद होने की तारीख को या ऐसे नए स्रोत के अस्तित्व में आने के बाद मार्च के इकतीसवें दिन को, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, समाप्त होने वाली अवधि;

(ग) वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से आरंभ होने वाली और, यथास्थिति, खंड (ख) में निर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार के बंद होने या किसी अनिगमित निकाय का विघटन होने या किसी कंपनी का परिसमापन होने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि; या

(घ) किसी अन्य मामले में, सुसंगत वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि,

और जो निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व आती है अभिप्रेत है;

(10) “निवासी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो आय-कर अधिनियम की धारा 6 के अर्थात् भारत में निवासी है;

(11) “भारत के बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति” से भारत के बाहर अवस्थित ऐसी कोई आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी इकाई में वित्तीय हित भी है) अभिप्रेत है, जो निर्धारिती द्वारा अपने नाम में धारण की हुई है या जिसके संबंध में वह हिताधिकारी स्वामी है और उसके पास ऐसी आस्ति में विनिधान के स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में असमाधानप्रद है;

(12) “अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति” से धारा 4 में निर्दिष्ट तथा धारा 5 में अधिकथित रीति से संगणित भारत के बाहर अवस्थित किसी स्रोत से किसी निर्धारिती की अप्रकटित आय तथा भारत के बाहर अवस्थित किसी अप्रकटित आस्ति के मूल्य की कुल रकम अभिप्रेत है;

(13) “अनिगमित निकाय” से अभिप्रेत है,—

(क) कोई फर्म;

(ख) कोई व्यक्ति-संगम; या

(ग) कोई व्यष्टि-निकाय;

(14) “अप्रकटित आस्ति का मूल्य” का वही अर्थ होगा, जो धारा 3 की उपधारा (2) में उसका है;

(15) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में उनके हैं।

अध्याय 2

प्रभारण का आधार

3. (1) प्रत्येक निर्धारिती पर 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष कर का प्रभारण। के लिए, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ष की उसकी कुल अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति के संबंध में ऐसी अप्रकटित आय और आस्ति के तीस प्रतिशत की दर से कर प्रभारित किया जाएगा:

परंतु भारत के बाहर अवस्थित किसी अप्रकटित आस्ति पर उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसी आस्ति, निर्धारण अधिकारी की जानकारी में आती है, उसके मूल्य पर कर प्रभारित किया जाएगा।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “अप्रकटित आस्ति का मूल्य” से ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, किसी आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी इकाई में वित्तीय हित भी है) का अवधारित उचित बाजार मूल्य अभिप्रेत है।

4. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी निर्धारिती की किसी पूर्ववर्ष की कुल अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति निम्नलिखित होगी,—

अप्रकटित विदेशी
आय और आस्ति
की व्याप्ति।

(क) भारत के बाहर अवस्थित किसी स्रोत से ऐसी आय, जिसे आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत की गई आय की विवरणी में प्रकट नहीं किया गया है;

(ख) भारत के बाहर अवस्थित किसी स्रोत से ऐसी आय, जिसके संबंध में आय-कर अधिनियम की धारा 139 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, किंतु उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है; और

(ग) भारत के बाहर अवस्थित किसी अप्रकटित आस्ति का मूल्य।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आय-कर अधिनियम के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 29 से धारा 43ग या धारा 57 से धारा 59 या धारा 92ग के उपबंधों के अनुसार निर्धारिती की किसी पूर्ववर्ष की कुल आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण में, भारत के बाहर किसी स्रोत से हुई आय में किए गए किसी परिवर्तन को कुल अप्रकटित विदेशी आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन कुल अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति में सम्मिलित आय, आय-कर अधिनियम के अधीन कुल आय का भागरूप नहीं होगी।

कुल अप्रकटित
विदेशी आय और
आस्ति की
संगणना।

5. (1) निर्धारिती की किसी पूर्ववर्ष की कुल अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति की संगणना में,—

(i) निर्धारिती के किसी व्यय या मोक के संबंध में ऐसी कोई कटौती या किसी हानि का मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, चाहे वह आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय है अथवा नहीं;

(ii) ऐसी किसी आय को,—

(क) जिसमें उस निर्धारण वर्ष के, जिसको यह अधिनियम लागू होता है, पूर्व आय-कर अधिनियम के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए कर का निर्धारण किया गया है; या

(ख) जिस पर इस अधिनियम के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारणीय है या निर्धारित किया गया है,

भारत के बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति के मूल्य से घटा दिया जाएगा, यदि निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है कि ऐसी आस्ति का अर्जन उस आय से किया गया है, जिसका, यथास्थिति, कर के लिए निर्धारण किया जा चुका है या जो कर के लिए निर्धारणीय है।

(2) उपधारा (1) के खंड (ii) में निर्दिष्ट कटौती की रकम, किसी स्थावर संपत्ति की दशा में, वह रकम होगी, जिसका आस्ति मूल्य उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें निर्धारण अधिकारी की जानकारी में वह आती है, प्रथम दिन को उसी अनुपात में है, जो निर्धारणीय या निर्धारित की गई विदेशी आय की आस्ति की कुल लागत से है।

दृष्टांत

निर्धारिती द्वारा भारत के बाहर अवस्थित एक गृह संपत्ति पूर्ववर्ष 2009–10 में पचास लाख रुपए में अर्जित की गई थी। पचास लाख रुपए के विनिधान में से बीस लाख रुपए पर पूर्ववर्ष 2009–10 तथा उससे पूर्व वर्षों में की कुल आय पर कर का निर्धारण किया गया था। ऐसी अप्रकटित आस्ति निर्धारण अधिकारी की जानकारी में वर्ष 2017–18 में आती है। यदि वर्ष 2017–18 में आस्ति का मूल्य एक करोड़ रुपए हैं तो कर से प्रभार्य रकम ए – बी = सी होगी,

जहां कि,—

ए = एक करोड़ रुपए, बी = $(100 \times 20/50)$ लाख रुपए = 40 लाख रुपए, सी = $(100-40)$ लाख रुपए = 60 लाख रुपए होगी।

अध्याय 3

कर प्रबंधन

कर प्राधिकारी।

6. (1) आय-कर अधिनियम की धारा 116 में विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कर प्राधिकारी होंगे।

(2) प्रत्येक ऐसा प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी व्यक्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी कर प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(3) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन किसी कर प्राधिकारी की अधिकारिता वही होगी जैसी उसे आय-कर अधिनियम की धारा 120 के अधीन या उस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन जारी किए गए आदेशों या निदेशों (जिसके अंतर्गत समवर्ती अधिकारिता समनुदिष्ट करने संबंधी आदेश या निदेश भी हैं) के आधार पर उस अधिनियम के अधीन प्राप्त है।

(4) ऐसे किसी निर्धारिती के संबंध में, जिसकी आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर से निर्धारणीय कोई आय नहीं है, अधिकारिता रखने वाला कर प्राधिकारी उस क्षेत्र के संबंध में, जिसमें निर्धारिती निवास करता है या अपना कारबार चलाता है या उसके कारबार का मुख्य स्थान है, अधिकारिता रखने वाला कर प्राधिकारी होगा।

(5) आय-कर अधिनियम की धारा 118 और उसके अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना कर प्राधिकारियों के नियंत्रण के संबंध में वैसे ही लागू होगी जैसे वह तत्समान आय-कर प्राधिकारियों के नियंत्रण के

संबंध में उस विस्तार तक के सिवाय लागू होती, जिस तक बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी कर प्राधिकारी के संबंध में अन्यथा निदेश दे।

7. (1) ऐसा कर प्राधिकारी, जो अधिकारिता में तब्दीली के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारण से दूसरे पदधारी की प्राधिकारी का उत्तराधिकारी होता है, उस प्रक्रम से, जिस पर उसके पूर्वाधिकारी द्वारा उसे छोड़ा गया था, कार्यवाहियां तब्दीली। जारी रखेगा।

(2) ऐसे किसी मामले में निर्धारिती को सुने जाने का अवसर, यदि वह उसके मामले में कोई आदेश पारित किए जाने के पूर्व इस प्रकार लिखित अनुरोध करता है, दिया जा सकेगा।

8. (1) विहित कर प्राधिकारियों को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:—

साक्ष्य के प्रकटीकरण और पेश किए जाने के बारे में शक्तियां।

(क) प्रकटीकरण और निरीक्षण;

(ख) किसी व्यक्ति को, जिसके अंतर्गत बैंककारी कंपनी का कोई अधिकारी भी है, हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ग) लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों के पेश किए जाने के लिए बाध्य करना; और

(घ) कमीशन निकालना।

(2) विहित कर प्राधिकारी में, कोई जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियां, चाहे उसके समक्ष कोई कार्यवाहियां लंबित हों या नहीं, निहित की जाएंगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए विहित कोई कर प्राधिकारी, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, उसके समक्ष पेश की गई किन्हीं लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को जब्त कर सकेगा और उन्हें ऐसी अवधि के लिए, जो वह उचित समझे, अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा।

(4) आयुक्त की पंक्ति से नीचे का कोई भी कर प्राधिकारी,—

(क) कोई लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज जब्त किए जाने के अपने कारणों को लेखबद्ध किए बिना ऐसा नहीं करेगा; या

(ख) ऐसी कोई बहियां या दस्तावेज, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना तीस दिन से अधिक अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा।

9. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी कर प्राधिकारी के समक्ष की किसी कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थात् तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा।

कर प्राधिकारियों के समक्ष की कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां होना।

1860 का 45 (2) प्रत्येक कर प्राधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 के प्रयोजनों के लिए, न कि उसके अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए, सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

10. (1) इस अधिनियम के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी, आय-कर अधिनियम के अधीन किसी आय-कर प्राधिकारी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी से सूचना मिलने पर या उसकी जानकारी में कोई सूचना आने पर ऐसे किसी व्यक्ति पर उससे उस तारीख को, जो विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे लेखे या दस्तावेज या साक्ष्य, जिनकी निर्धारण अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करे, पेश करने या कराने की अपेक्षा करते हुए, सूचना की तामील कर सकेगा और ऐसे अन्य लेखे या दस्तावेज या साक्ष्य, जिनकी वह अपेक्षा करे, पेश करने की अपेक्षा करते हुए, समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाओं की तामील कर सकेगा।

निर्धारण।

(2) निर्धारण अधिकारी, ऐसी जांच कर सकेगा, जो वह किसी व्यक्ति की सुसंगत वित्तीय वर्ष या वर्षों के लिए अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति के संबंध में पूर्ण जानकारी अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे।

(3) निर्धारण अधिकारी, ऐसे लेखाओं, दस्तावेजों या साक्ष्य पर, जो उसने उपधारा (1) के अधीन अभिप्राप्त किए हों, विचार करने के पश्चात् तथा ऐसी किसी सुसंगत सामग्री पर जो उसने उपधारा (2) के अधीन एकत्र की हो और निर्धारिती द्वारा पेश किए गए किसी अन्य साक्ष्य पर, विचार करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति का निर्धारण करेगा और निर्धारिती द्वारा संदेय राशि का अवधारण करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन की सूचना के निबंधनों का पालन करने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी ऐसी सभी सुसंगत सामग्री पर, जो उसने एकत्र की हो, विचार करने के पश्चात् और निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति का निर्धारण करेगा और निर्धारिती द्वारा संदेय राशि का अवधारण करेगा।

निर्धारण और
पुनर्निर्धारण पूरा
करने की
समय-सीमा।

11. (1) धारा 10 के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण का कोई आदेश उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें निर्धारण अधिकारी द्वारा, धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई थी, दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 18 के अधीन पारित किसी निर्धारण को अपास्त या रद्द करने संबंधी आदेश के अनुसरण में नए सिरे से निर्धारण का आदेश उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 18 के अधीन आदेश पारित, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, अंत से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (1) के उपबंध इस अधिनियम की धारा 15 या धारा 18 या धारा 19 या धारा 22 के अधीन किसी आदेश में या इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में किसी कार्यवाही से भिन्न किसी कार्यवाही में किसी न्यायालय के किसी आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निर्देश के परिणामस्वरूप या उसे प्रभावी करने के लिए किए गए निर्धारण या पुनर्निर्धारण को लागू नहीं होंगे और ऐसा निर्धारण या पुनर्निर्धारण उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा आदेश प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, अंत से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय पूरा किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजन के लिए, परिसीमा काल की संगणना करने में,—

(i) संपूर्ण कार्यवाही या उसके भाग को पुनः खोले जाने में लगे समय को; या

(ii) उस अवधि को, जिसके दौरान निर्धारण की कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है; या

(iii) उस तारीख से, जिसको किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आय-कर अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क में या इस अधिनियम की धारा 73 के अधीन निर्दिष्ट करार के अधीन सूचना के आदान-प्रदान के लिए किसी निर्देश या किन्हीं निर्देशों में से प्रथम निर्देश किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको इस प्रकार अनुरोध की गई सूचना प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अंतिम बार प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि या एक वर्ष की अवधि को, इनमें से जो भी कम हो,

अपवर्जित किया जाएगा:

परंतु जहां पूर्वोक्त समय या अवधि का अपवर्जन किए जाने के ठीक पश्चात्, निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश करने के लिए उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट उपलब्ध परिसीमा काल साठ दिन से कम का है, वहां ऐसी शेष अवधि को साठ दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा और पूर्वोक्त परिसीमा काल तदनुसार बढ़ाया गया समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—जहां उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी आदेश द्वारा किसी अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति को किसी निर्धारिती के संबंध में किसी निर्धारण वर्ष की कुल अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति से

अपवर्जित किया जाता है, वहां दूसरे निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति के निर्धारण को, धारा 10 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसा निर्धारण समझा जाएगा, जो उक्त आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्क्रिय या निदेश के परिणामस्वरूप या उसे प्रभावी करने के लिए किया गया है।

12. (1) कोई कर प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर भूल सुधार। सकेगा, जिससे कि अभिलेख से प्रकट किसी भूल को सुधारा जा सके।

(2) इस धारा के अधीन कोई संशोधन उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें वह आदेश, जिसको संशोधित किए जाने की ईप्सा की गई थी, पारित किया गया था, अंत से चार वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(3) कर प्राधिकारी ऐसा कोई संशोधन, जिसका प्रभाव अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति में वृद्धि करने या किसी प्रतिदाय को कम करने का अथवा निर्धारिती के दायित्व को अन्यथा बढ़ाने का है, संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

(4) संबंधित कर प्राधिकारी इस धारा के अधीन कोई संशोधन,—

(क) स्वप्रेरणा से; या

(ख) यथास्थिति, निर्धारिती या निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे आवेदन किए जाने पर,

कर सकेगा।

(5) किसी आदेश का संशोधन करने के लिए कर प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किसी आवेदन का विनिश्चय उस मास के, जिसमें ऐसा आवेदन उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, अंत से छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(6) ऐसे किसी मामले में, जहां कोई आदेश अपील या पुनरीक्षण में किया गया है, कर प्राधिकारी की, आदेश को संशोधित करने की शक्ति उन मामलों से, जिनका कि विनिश्चय अपील या पुनरीक्षण में किया गया है, भिन्न मामलों तक निर्बंधित होगी।

13. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के परिणामस्वरूप संदेय किसी राशि की मांग कर मांग की सूचना। प्राधिकारी द्वारा निर्धारिती पर मांग की सूचना की, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, तामील करने पर की जाएगी।

14. इस अध्याय में की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसकी ओर से या जिसके फायदे के लिए भारत के बाहर अवस्थित किसी स्रोत से अप्रकटित आय प्राप्त है या भारत के बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति धारित की गई है, प्रत्यक्ष निर्धारण किए जाने या ऐसे व्यक्ति से ऐसी आय और आस्ति के संबंध में संदेय कर या किसी अन्य धनराशि की वसूली किए जाने से निवारित नहीं करेगी।

प्रत्यक्ष निर्धारण या वसूली का वर्जित न होना।

15. (1) ऐसा कोई भी व्यक्ति आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा जो, (क) ऐसी अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति पर, जिसके लिए उसका निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण किया गया है, कर की रकम के प्रति आक्षेप करता है; या (ख) इस अधिनियम के अधीन निर्धारण किए जाने के अपने दायित्व से इंकार करता है; या (ग) निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित किसी शास्ति के प्रति आक्षेप करता है; या (घ) परिशुद्धि के ऐसे किसी आदेश के प्रति, जिसका प्रभाव निर्धारण में वृद्धि या प्रतिदाय को कम किए जाने का है, आक्षेप करता है; या (ड) धारा 12 के अधीन किसी परिशुद्धि के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए दावे को मंजूर करने से इंकार करने संबंधी किसी आदेश के प्रति आक्षेप करता है।

आयुक्त (अपील) को अपीलें।

(2) प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में फाइल की जाएगी और ऐसी रीति से सत्यापित की जाएगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए।

(3) कोई अपील—

(क) निर्धारण या शास्ति से संबंधित मांग की सूचना की तामील की तारीख से; या

(ख) किसी अन्य मामले में उस तारीख से, जिसको उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील किए जाने की ईंप्सा की गई है, संसूचना की तामील की जाती है,

तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(4) आयुक्त (अपील) उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि—

(क) उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था; और

(ख) अपील करने में विलंब एक वर्ष की अवधि से अधिक का नहीं है।

(5) आयुक्त (अपील), अपील की सुनवाई और उसका अवधारण करेगा तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे और ऐसे आदेशों के अंतर्गत निर्धारण या शास्ति में वृद्धि करने का आदेश भी हो सकेगा:

परंतु निर्धारण या शास्ति में वृद्धि करने संबंधी कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

अपील में
अनुसरण की जाने
वाली प्रक्रिया।

16. (1) आयुक्त (अपील), अपील की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत करेगा तथा उसकी सूचना अपीलार्थी और उस निर्धारण अधिकारी को, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, देगा।

(2) अपील की सुनवाई में निम्नलिखित को सुने जाने का अधिकार होगा, अर्थात्—

(क) अपीलार्थी या तो स्वयं या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा;

(ख) निर्धारण अधिकारी या तो स्वयं या किसी प्रतिनिधि द्वारा।

(3) आयुक्त (अपील) जब कभी आवश्यक और समीचीन समझे, अपील की सुनवाई स्थगित कर सकेगा।

(4) आयुक्त (अपील) किसी अपील का निपटारा करने के पूर्व ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(5) आयुक्त (अपील), उसके समक्ष की कार्यवाहियों के दौरान, निर्धारण अधिकारी को विधि या तथ्य के किसी प्रश्न से उद्भूत होने वाले बिन्दुओं पर जांच करने और उसको उसकी रिपोर्ट देने का निदेश दे सकेगा।

(6) आयुक्त (अपील), अपील की सुनवाई में अपीलार्थी को अपील के ऐसे किसी आधार पर, जो अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट नहीं है, चर्चा करने की अनुज्ञा दे सकेगा, यदि आयुक्त (अपील) का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा लोप जानबूझकर नहीं किया गया था या वह अयुक्तियुक्त नहीं था।

(7) आयुक्त (अपील) का अपील के निपटारे का आदेश लिखित में होगा और उसमें अवधारणार्थ बिन्दुओं, उन पर किए गए विनिश्चय और उसके कारणों का कथन होगा।

(8) आयुक्त (अपील) द्वारा, धारा 15 के अधीन की गई प्रत्येक अपील की सुनवाई और उसका निपटारा यथासंभव शीघ्रता से किया जाएगा और ऐसी अपील को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसमें अपील की गई है, एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा।

(9) अपील के निपटारे पर आयुक्त (अपील) अपने द्वारा पारित आदेश, निर्धारिती और प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को संसूचित करेगा।

आयुक्त (अपील)
की शक्तियाँ।

17. (1) किसी अपील का निपटारा करने में आयुक्त (अपील) को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्—

(क) निर्धारण के किसी आदेश के विरुद्ध किसी अपील में वह निर्धारण की पुष्टि, उसमें कमी, वृद्धि या उसे बातिल कर सकेगा;

(ख) शास्ति अधिरोपित करने के किसी आदेश के विरुद्ध किसी अपील में वह ऐसे आदेश की पुष्टि या उसे रद्द कर सकेगा;

(ग) किसी अन्य मामले में वह अपील में उद्भूत होने वाले विवाद्यक अवधारित कर सकेगा और उन पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(2) आयुक्त (अपील) किसी ऐसे विषय पर विचार और उसका विनिश्चय कर सकेगा, जिस पर निर्धारण अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया था।

(3) आयुक्त (अपील) किसी निर्धारण या शास्ति में तब तक वृद्धि नहीं करेगा जब तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) किसी अपील का निपटारा करने में आयुक्त (अपील) ऐसी कार्यवाहियों से उद्भूत होने वाले किसी विषय पर, जिसमें वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित किया गया था, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा विषय अपीलार्थी द्वारा उसके समक्ष नहीं उठाया गया था, विचार और उसका विनिश्चय कर सकेगा।

18. (1) इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश या किसी उपबंध के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती, ऐसे आदेश के अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।

(2) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, यदि वह इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश के प्रति आक्षेप करता है, निर्धारण अधिकारी को आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करने का निदेश दे सकेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की इप्सा की गई है, यथास्थिति, निर्धारिती या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को संसूचित किया जाता है, साठ दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी।

(4) यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या निर्धारिती ऐसी सूचना की प्राप्ति पर कि आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध दूसरे पक्षकार द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपील की गई है, इस बात के होते हुए भी कि संभवतः ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के विरुद्ध सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अपील नहीं कर सका है, आयुक्त (अपील) के आदेश के किसी भाग के विरुद्ध, विहित रीति में सत्यापित, प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन फाइल कर सकेगा और अपील अधिकरण द्वारा ऐसे ज्ञापन का निपटारा इस प्रकार किया जाएगा मानो वह उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई कोई अपील हो।

(5) अपील अधिकरण उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा या प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करने की अनुज्ञा दे सकेगा, यदि

(क) उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था; और

(ख) अपील फाइल करने में विलंब एक वर्ष की अवधि से अधिक का नहीं है।

(6) अपील अधिकरण को कोई अपील ऐसे प्ररूप में फाइल की जाएगी और ऐसी रीति से सत्यापित की जाएगी और उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपील या उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रत्याक्षेपों के किसी ज्ञापन के सिवाय उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए।

(7) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन किसी अपील की सुनवाई और उस पर आदेश करने में, अपील अधिकरण उन्हीं शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिसका वह आय-कर अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने और उस पर आदेश करने में प्रयोग और अनुसरण करता है।

19. (1) अपील अधिकरण द्वारा अपील में पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय को होगी, यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है। अपील।

(2) अपील अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या कोई निर्धारिती उच्च न्यायालय को अपील फाइल कर सकेगा और ऐसी अपील—

(क) उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया जाता है, एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी;

(ख) अपील के ज्ञापन के रूप में होगी और उसमें विधि के सारवान् प्रश्न अंतर्वलित होने का संक्षिप्त कथन होगा।

(3) उच्च न्यायालय, उपधारा (2) में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील फाइल न करने का पर्याप्त कारण था।

(4) यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है तो वह उस प्रश्न को विरचित करेगा।

(5) अपील की सुनवाई केवल इस प्रकार विरचित प्रश्न पर ही की जाएगी और प्रत्यर्थियों को अपील की सुनवाई के समय यह दलील देने की अनुज्ञा दी जाएगी कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है।

(6) उपधारा (4) और उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, उच्च न्यायालय उसके द्वारा विरचित न किए गए विधि के किसी अन्य सारवान् प्रश्न पर अपील की सुनवाई करने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है।

(7) उच्च न्यायालय इस प्रकार विरचित किए गए विधि के प्रश्न को विनिश्चित करेगा और उस पर ऐसा निर्णय देगा जिसमें वे आधार अंतर्विष्ट होंगे जिन पर ऐसा विनिश्चय आधारित है और ऐसा खर्च अधिनिर्णीत कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(8) उच्च न्यायालय कोई ऐसा विवाद्यक अवधारित कर सकेगा जो—

(क) अपील अधिकरण द्वारा अवधारित नहीं किया गया है; या

(ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विधि के प्रश्न पर किसी विनिश्चय के कारण अपील अधिकरण द्वारा गलत रूप से अवधारित किया गया है।

(9) उच्च न्यायालय को अपीलों से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध, जहां तक हो सके, 1908 का 5 इस धारा के अधीन अपीलों की दशा में लागू होंगे।

(10) जब उच्च न्यायालय, उपधारा (7) के अधीन उसके समक्ष फाइल की गई किसी अपील में कोई निर्णय देता है तो निर्धारण अधिकारी द्वारा अपील पर पारित आदेश को निर्णय की प्रमाणित प्रति के आधार पर प्रभावी किया जाएगा।

उच्च न्यायालय के समक्ष मामले की सुनवाई का कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा किया जाना।

20. (1) उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई किसी अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा की जाएगी और उसका विनिश्चय ऐसे न्यायाधीशों की राय के अनुसार या यदि न्यायपीठ में दो से अधिक न्यायाधीश हैं तो ऐसे न्यायाधीशों के बहुमत से किया जाएगा।

(2) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है वहां न्यायाधीश विधि के उस प्रश्न का कथन करेंगे जिस पर उनमें मतभेद है और तब मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा केवल उसी प्रश्न पर की जाएगी और ऐसे प्रश्न का विनिश्चय ऐसे न्यायाधीशों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, जिनके अंतर्गत वे न्यायाधीश भी हैं, जिन्होंने पहले इसकी सुनवाई की थी।

उच्चतम न्यायालय को अपील।

21. धारा 19 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय से अपील उच्चतम न्यायालय में तब होगी जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर देता है कि वह उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त मामला है।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई।

22. (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के वे उपबंध जो उच्चतम न्यायालय को अपीलें करने से संबंधित हैं, धारा 21 के अधीन अपीलों की दशा में, जहां तक हो सके उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वह किसी उच्च न्यायालय की डिक्रियों से अपीलों की दशा में लागू होते हैं। 1908 का 5

(2) अपील के खर्चे उच्चतम न्यायालय के विवेकानुसार होंगे।

(3) जहां अपील में उच्च न्यायालय के निर्णय में फेरफार किया जाता है या उसे उलट दिया जाता है वहां उच्चतम न्यायालय के आदेश को धारा 19 की उपधारा (10) में उपबंधित रीति से प्रभावी किया जाएगा।

23. (1) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, उसके अधीनस्थ के किसी कर प्राधिकारी के समक्ष इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही में पारित किसी आदेश को पुनरीक्षित करने के प्रयोजनों के लिए उससे संबंधित सभी उपलब्ध अभिलेखों को मंगा सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा।

राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आदेशों का पुनरीक्षण।

(2) यदि प्रधान आयुक्त या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि वह आदेश, जिसको पुनरीक्षित किए जाने की ईप्सा की गई है, गलत है, तो जहां तक वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है वह निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् पुनरीक्षण आदेश कहा गया है) पारित कर सकेगा जो मामले की परिस्थितियों में न्यायोचित हो।

(3) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, ऐसी जांच कर सकेगा या करा सकेगा जो वह उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेश का प्रभाव निर्धारण में वृद्धि करने या उपांतरण करने का हो सकेगा, किंतु यह निर्धारण को रद्द करने वाला या नए सिरे से निर्धारण का निदेश देने वाला आदेश नहीं होगा।

(5) उपधारा (2) के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त की किसी आदेश को पुनरीक्षित करने की शक्ति ऐसे विषयों तक विस्तारित होगी, जिन पर किसी अपील में विचार और विनिश्चय नहीं किया गया है।

(6) उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश, उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें वह आदेश, जिसको पुनरीक्षित किए जाने की ईप्सा की गई है, पारित किया गया था, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(7) उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी आदेश की बाबत, जो अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश के परिणामस्वरूप या उसको प्रभावी करने के लिए पारित किया गया है, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण में कोई आदेश, किसी भी समय पारित किया जा सकेगा।

(8) उपधारा (6) के अधीन परिसीमा काल की संगणना करने में निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) धारा 7 के अधीन निर्धारिती को पुनः सुनवाई का अवसर देने में लगा समय; या

(ख) ऐसी कोई अवधि, जिसके दौरान इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक दी जाती है।

(9) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी कर प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश वहां तक गलत समझा जाएगा, जहां तक यह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, यदि प्रधान आयुक्त या आयुक्त की राय में—

(क) आदेश, ऐसी जांच या सत्यापन किए बिना जो किया जाना चाहिए था, पारित किया गया है;

या

(ख) आदेश, बोर्ड द्वारा जारी किसी आदेश, निदेश या अनुदेश के अनुसार नहीं किया गया है; या

(ग) आदेश, इस अधिनियम या आय-कर अधिनियम के अधीन निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए ऐसे किसी विनिश्चय के अनुसार जो निर्धारिती पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, पारित नहीं किया गया है।

(10) इस धारा में “अभिलेख” के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही से संबंधित ऐसे सभी अभिलेख आते हैं जो प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा परीक्षा किए जाने के समय उपलब्ध हों।

अन्य आदेशों का 24. (1) प्रधान आयुक्त या आयुक्त उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पारित ऐसे किसी आदेश को जो ऐसे आदेश से भिन्न हैं जिसको धारा 23 लागू होती है, पुनरीक्षित करने के प्रयोजनों के लिए उससे संबंधित सभी उपलब्ध अभिलेखों को, स्वप्रेरणा से या निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन पर मंगा सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा।

(2) प्रधान आयुक्त या आयुक्त ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे और जो निर्धारिती पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला न हो।

(3) किसी आदेश का पुनरीक्षण करने की उपधारा (2) के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त की शक्ति, ऐसे आदेश तक नहीं होगी—

(क) जिसके विरुद्ध अपील फाइल नहीं की गई है किंतु आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील फाइल करने का समय समाप्त नहीं हुआ है;

(ख) जिसके विरुद्ध आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील लंबित है; या

(ग) जिस पर किसी अपील में विचार और उसका विनिश्चय किया जा चुका है।

(4) निर्धारिती उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसको पुनरीक्षित किए जाने की ईस्पा की गई है, उसको संसूचित किया गया था या उस तारीख से, जिसको उसे अन्यथा उसकी जानकारी मिलती है, इनमें जो भी पूर्वतर है, एक वर्ष की अवधि के भीतर करेगा।

(5) यदि प्रधान आयुक्त या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि निर्धारिती को एक वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो वह उपधारा (4) में निर्दिष्ट तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किन्तु दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व आवेदन ग्रहण कर सकेगा।

(6) इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिए किसी निर्धारिती द्वारा किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए।

(7) उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश—

(क) उस वित्तीय वर्ष की जिसमें उपधारा (4) के अधीन निर्धारिती द्वारा आवेदन किया जाता है, समाप्ति के एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा; या

(ख) उस आदेश की तारीख से, जिसको पुनरीक्षित किए जाने की ईस्पा की गई है एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा, यदि वह आदेश आयुक्त द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षित किया गया है।

(8) उपधारा (7) के अधीन परिसीमा काल की संगणना करने में निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अर्थात्—

(क) धारा 7 के अधीन निर्धारिती को पुनः सुनवाई का अवसर देने में लगा समय ; या

(ख) ऐसी कोई अवधि, जिसके दौरान इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक दी जाती है।

(9) इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा हस्तक्षेप से इंकार करने संबंधी किसी आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह आदेश निर्धारिती पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं है।

अपील के लंबित रहते कर का संदाय के अधीन किए गए निर्धारण के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

25. उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को की गई किसी अपील के होते हुए भी, कर इस अधिनियम किया जाना।

26. उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत खर्चों के संबंध में आदेश के निष्पादन के लिए की गई अर्जी पर, ऐसे आदेश को निष्पादन के लिए अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय को भेज सकेगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत खर्चों के आदेश का निष्पादन।
27. जहां धारा 15 या धारा 18 के अधीन अपील के परिणामस्वरूप किसी व्यष्टि-निकाय या व्यक्ति-संगम के निर्धारण में कोई परिवर्तन किया जाता है या व्यष्टि-निकाय या व्यक्ति-संगम का नए सिरे से निर्धारण किए जाने का कोई आदेश किया जाता है, वहां, यथास्थिति, आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण निर्धारण अधिकारी को किए गए निर्धारण में संशोधन करने का या निकाय या संगम के किसी सदस्य का नए सिरे से निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत करते हुए आदेश पारित करेगा। अपील पर निर्धारण का संशोधन।
28. इस अधिनियम के अधीन अपील के लिए विहित परिसीमा काल की संगणना करने में उस दिन को, जिसको निर्धारिती पर, आदेश की सूचना की तामील आदेश की प्रति की तामील किए बिना की गई थी, ऐसे आदेश की प्रति अभिप्राप्त करने में लगे समय को अपवर्जित किया जाएगा। प्रति अभिप्राप्त करने में लगे समय का अपवर्जन।
29. (1) बोर्ड, इस अध्याय के अधीन किसी कर प्राधिकारी द्वारा अपील के फाइल किए जाने को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए ऐसी धनीय सीमाएं, जो वह ठीक समझे, निश्चित करने के लिए समय-समय पर अन्य कर प्राधिकारियों को आदेश, अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा। कर प्राधिकारी द्वारा अपील का फाइल किया जाना।
- (2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में किसी कर प्राधिकारी ने किसी वित्तीय वर्ष के लिए किसी निर्धारिती के मामले में किसी विवाद्यक पर कोई अपील फाइल नहीं की है वहां ऐसे प्राधिकारी को—
- (क) किसी अन्य वित्तीय वर्ष के लिए उसी निर्धारिती; या
 - (ख) उसी या किसी अन्य वित्तीय वर्ष के लिए किसी अन्य निर्धारिती,
- के मामले में उसी विवाद्यक पर अपील फाइल करने से निवारित नहीं किया जाएगा।
- (3) इस बात के होते हुए भी कि उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में किसी कर प्राधिकारी द्वारा कोई अपील फाइल नहीं की गई है, किसी ऐसे निर्धारिती के लिए, जो किसी अपील में पक्षकार है, ऐसा प्रतिवाद करना विधिपूर्ण नहीं होगा कि कर प्राधिकारी ने किसी दशा में कोई अपील फाइल न करके विवादित विवाद्यक पर विनिश्चय में उपमति दे दी है।
- (4) ऐसी अपील की सुनवाई करने वाला अपील अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निदेशों और उन परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा जिनके अधीन किसी मामले के संबंध में ऐसी अपील फाइल की गई थी या फाइल नहीं की गई थी।
- (5) ऐसा प्रत्येक आदेश, अनुदेश या निदेश, जो अपील फाइल करने हेतु धनीय सीमाएं निश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।
30. (1) धारा 13 के अधीन मांग की सूचना में संदेय रूप में विनिर्दिष्ट कोई रकम, सूचना की तामील की तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में संदर्त की जाएगी। निर्धारण अधिकारी द्वारा कर शोध्यों की वसूली।
- (2) जहां निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण है कि यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि अनुज्ञात की जाती है तो यह राजस्व के लिए अहितकर होगा वहां वह संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसी अवधि को उतनी जितनी वह ठीक समझे, कम कर सकेगा।
- (3) निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन पर, तीस दिन की अवधि या उपधारा (2) के अधीन कम की गई अवधि की समाप्ति के पूर्व या आयुक्त (अपील) के पास अपील के लंबित रहने के दौरान, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह मामले की परिस्थितियों में अधिरोपित करना ठीक समझे, संदाय के लिए समय को बढ़ा सकेगा या किश्तों द्वारा संदाय अनुज्ञात कर सकेगा।

(4) किसी निर्धारिती को व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा यदि, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या उपधारा (2) के अधीन कम की गई या उपधारा (3) के अधीन बढ़ाई गई अवधि के भीतर बकाया कर संदर्भ नहीं किया जाता है।

(5) जहां कोई निर्धारिती, उपधारा (3) के अधीन निश्चित समय के भीतर किश्त का संदाय करने में व्यतिक्रम करता है वहां उसे तब बकाया संपूर्ण रकम के संबंध में व्यतिक्रम करने वाला निर्धारिती समझा जाएगा।

(6) निर्धारण अधिकारी, ऐसे किसी मामले में, जिसमें कर वसूली अधिकारी द्वारा धारा 31 के अधीन प्रमाणपत्र तैयार नहीं किया गया है, धारा 32 में उपबंधित ढंगों में से किसी एक या अधिक ढंगों द्वारा ऐसी रकम की वसूली कर सकेगा जिसके संबंध में वह व्यतिक्रम करने वाला निर्धारिती है या उसे व्यतिक्रम करने वाला निर्धारिती समझा जाता है।

(7) कर वसूली अधिकारी में, धारा 31 के अधीन बकाया कर का विवरण तैयार करने पर बकाया कर की वसूली करने की शक्तियां निहित होंगी।

कर वसूली 31. (1) कर वसूली अधिकारी, धारा 30 की उपधारा (4) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी निर्धारिती के अधिकारी द्वारा कर बकाया का ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, एक विवरण (ऐसा विवरण, जिसे इस अध्याय में इसके शोधों की वसूली। पश्चात् “प्रमाणपत्र” कहा गया है) अपने हस्ताक्षर सहित तैयार कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र को इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप समय-समय पर संशोधित किया जाएगा और कर वसूली अधिकारी इस प्रकार उपांतरित रकम की वसूली करेगा।

(3) कर वसूली अधिकारी, अभिलेख से प्रकट किसी भूल का सुधार कर सकेगा।

(4) कर वसूली अधिकारी को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह मामले की परिस्थितियों में अधिरोपित करना ठीक समझे, संदाय करने के समय को बढ़ाने या किरण्तों द्वारा संदाय अनुज्ञात करने की शक्ति होगी।

(5) कर वसूली अधिकारी, निर्धारिती से धारा 32 में या आय-कर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट किसी एक या अधिक ढंगों द्वारा प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम वसूल करने के लिए कार्रवाई करेगा।

(6) निर्धारिती को कर वसूली अधिकारी द्वारा तैयार किए गए किसी प्रमाणपत्र के सही होने के संबंध में किसी भी आधार पर विवाद उठाने का अधिकार नहीं होगा किंतु कर वसूली अधिकारी के लिए प्रमाणपत्र को रद्द करना, यदि वह किसी कारण से ऐसा करना आवश्यक समझता है, विधिपूर्ण होगा।

कर शोधों की वसूली के ढंग। 32. (1) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी, निर्धारिती के नियोजक से निर्धारिती के किसी संदाय से ऐसी रकम की कठैती करने की अपेक्षा कर सकेगा जो निर्धारिती से बकाया कर को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अध्यपेक्षा के आधार पर नियोजक अध्यपेक्षा का पालन करेगा और इस प्रकार काटी गई राशि का ऐसी रीति से जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में संदाय करेगा।

(3) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 के अधीन सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में 1908 का 5 कुर्की से छूट प्राप्त वेतन का कोई भाग, उपधारा (1) के अधीन की गई किसी अध्यपेक्षा से छूट प्राप्त होगा।

(4) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी लिखित सूचना द्वारा निर्धारिती के किसी ऋणी से ऐसी रकम के जो ऋण की रकम से अधिक न हो संदाय की, जो निर्धारिती की कर बकाया को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, अपेक्षा कर सकेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर ऋणी अध्यपेक्षा का पालन करेगा और ऐसी रीति से जो विहित की जाए सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर (जो उस समय के पूर्व का न हो जब निर्धारिती को देय हो जाता है) केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में धनराशि का संदाय करेगा।

(6) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई सूचना की एक प्रति निर्धारिती को उसके अंतिम पते पर, जो निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को ज्ञात हो और संयुक्त लेखे की दशा में सभी संयुक्त धारकों को उनके अंतिम पते पर, जो निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को ज्ञात हो, भेजी जाएगी।

(7) यदि उपधारा (4) के अधीन कोई सूचना डाकघर, बैंककारी कंपनी, बीमाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को जारी की जाती है तो कोई संदाय करने के पूर्व किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या वैसी ही किसी कार्यवाही के किए जाने के प्रयोजन के लिए किसी पासबुक, जमा रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज को पेश करना तत्प्रतिकूल किसी नियम, प्रथा या अपेक्षा के होते हुए भी आवश्यक नहीं होगा।

(8) किसी संपत्ति की बाबत, जिसके संबंध में उपधारा (4) के अधीन सूचना जारी की गई है, ऐसा कोई दावा जो सूचना की तारीख के पश्चात् उद्भूत होता है, सूचना में अंतर्विष्ट किसी मांग के विरुद्ध शून्य होगा।

(9) ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसे उपधारा (4) के अधीन कोई सूचना जारी की गई है, उसमें विनिर्दिष्ट बकाया कर की रकम का या उसके किसी भाग का संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि वह शपथ पर कथन करके यह आक्षेप करता है कि ऐसी कोई राशि या उसका कोई भाग, जिसकी मांग की गई है, निर्धारिती द्वारा देय नहीं है या वह निर्धारिती के लिए या उसके लेखे कोई धनराशि धारित नहीं करता है।

(10) उपधारा (9) में निर्दिष्ट व्यक्ति से, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी के प्रति, सूचना की तारीख को निर्धारिती के प्रति अपने स्वयं के दायित्व के परिमाण तक या इस अधिनियम के अधीन देय किसी राशि के लिए निर्धारिती के दायित्व के परिमाण तक, इनमें से जो भी कम हो, व्यक्तिगत रूप से दायी होगा यदि यह प्रकट होता है कि उसके द्वारा किया गया कथन किसी प्रकार से मिथ्या है।

(11) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी उपधारा (4) के अधीन जारी किसी सूचना का संशोधन या प्रतिसंहरण कर सकेगा अथवा ऐसी सूचना के अनुसरण में कोई संदाय करने का समय बढ़ा सकेगा।

(12) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी, उपधारा (4) के अधीन जारी सूचना के अनुपालन में संदर्भ किसी रकम की रसीद देगा और वह व्यक्ति, जिसने संदाय किया है, उस संदर्भ रकम के परिमाण तक निर्धारिती के प्रति अपने दायित्व से पूर्ण रूप से उन्मोचित हो जाएगा।

(13) ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपधारा (4) के अधीन कोई सूचना प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारिती के प्रति किसी दायित्व का उन्मोचन उसे ही कर देता है, निर्धारिती के प्रति अपने स्वयं के इस प्रकार उन्मोचित दायित्व के परिमाण तक या इस अधिनियम के अधीन देय किसी धनराशि के लिए निर्धारिती के दायित्व के परिमाण तक, इनमें से जो भी कम हो, उस तक निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी के प्रति व्यक्तिगत रूप से दायी होगा।

(14) ऐसे ऋणी को, जिसे उपधारा (4) के अधीन सूचना भेजी जाती है, व्यतिक्रम करने वाला निर्धारिती समझा जाएगा, यदि वह ऐसा संदाय करने में असफल रहता है और उसके विरुद्ध इस धारा और आय-कर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में उपबंधित रीति से उक्त रकम वसूल करने के लिए आगे और कार्यवाहियां आरंभ की जा सकेंगी।

(15) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी उस न्यायालय से, जिसकी अभिरक्षा में निर्धारिती का धन है, यह आवेदन कर सकेगा कि उसको ऐसे धन की पूरी रकम का, या यदि वह बकाया कर से अधिक है तो उतनी रकम का, जितनी बकाया कर को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, संदाय किया जाए।

(16) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी, यदि उसे प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है, किसी बकाया कर की वसूली को उसी रीति से प्रभावी करेगा जो आय-कर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अधीन किसी जंगम संपत्ति की कुर्की, करस्थम् और विक्रय में की जाती है।

(17) इस धारा में,—

(क) “ऋणी” से, किसी निर्धारिती के संबंध में, निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे कोई धनराशि निर्धारिती को शोध्य है या शोध्य हो जाए; या

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति, जो निर्धारिती के लिए या उसके मद्दे कोई धनराशि धारण करता है या तत्पश्चात् धारण करें; या

(iii) ऐसा कोई व्यक्ति, जो निर्धारिती के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई धनराशि धारण करता है या तत्पश्चात् धारण करें;

(ख) संयुक्त धारकों के खाते में के शेयरों के बारे में, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता है, यह उपधारणा की जाएगी कि वे बराबर हैं।

33. (1) कर वसूली अधिकारी, जो धारा 31 के अधीन कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, ऐसा कर वसूली अधिकारी होगा,—
द्वारा कर शोध्यों की वसूली की जानी है।

(क) जिसकी अधिकारिता के भीतर—

(i) निर्धारिती अपना कारबार करता है;

(ii) निर्धारिती के कारबार का मुख्य स्थान स्थित है;

(iii) निर्धारिती निवास करता है; या

(iv) निर्धारिती की कोई जंगम या स्थावर संपत्ति स्थित है; या

(ख) जिसे धारा 6 के अधीन अधिकारिता सौंपी गई है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर वसूली अधिकारी एक प्रमाणपत्र, उसमें वसूल किए जाने वाले कर बकाया को विनिर्दिष्ट करते हुए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे दूसरे कर वसूली अधिकारी को भेज सकेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर निर्धारिती निवास करता है या उसकी संपत्ति है, यदि प्रथम वर्णित कर वसूली अधिकारी—

(क) अपनी अधिकारिता के भीतर, जंगम या स्थावर, संपत्ति के विक्रय से संपूर्ण रकम वसूल करने में समर्थ नहीं है; या

(ख) की यह राय है कि इस अध्याय के अधीन संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग की शीघ्र वसूली करने या उसे सुनिश्चित करने के लिए ऐसा प्रमाणपत्र भेजना आवश्यक है।

(3) द्वितीय वर्णित कर वसूली अधिकारी, प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर, उसमें विनिर्दिष्ट कर बकाया की रकम की वसूली के लिए अधिकारिता ग्रहण करेगा और इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार रकम की वसूली करने के लिए अग्रसर होगा।

34. (1) समापक ऐसे निर्धारण अधिकारी को, जिसे कंपनी की अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति का निर्धारण करने की अधिकारिता प्राप्त है, अपनी नियुक्ति के बारे में, उसके समापक बनने के तीस दिन की अवधि के भीतर, सूचित करेगा।

(2) निर्धारण अधिकारी, उस तारीख से, जिसको उसे सूचना प्राप्त होती है, तीन मास की अवधि के भीतर समापक को उस रकम की संसूचना देगा जो उसकी राय में किन्हीं कर बकाया राशियों या ऐसी किसी राशि के लिए, जिसके कि इस अधिनियम के अधीन कंपनी द्वारा तत्पश्चात् संदेय होने की संभावना हो, उपबंध करने के लिए पर्याप्त होगी।

(3) समापक—

(क) कंपनी की आस्तियों में से किसी को या उसकी अभिरक्षा में की संपत्तियों को विलग नहीं करेगा जब तक कि उपधारा (2) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे संसूचित न किया गया हो; और

(ख) इस प्रकार संसूचित किए जाने पर, संसूचित की गई रकम के बराबर रकम अलग रखेगा।

(4) निर्धारण अधिकारी से उपधारा (2) के अधीन संसूचना प्राप्त होने पर, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित शोध्य राशियों का, अर्थात्—

(क) कर्मकारों को शोध्य राशियों का; और

2013 का 18

(ख) प्रतिभूत लेनदारों को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 325 की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (iii) के अधीन ऐसी शोध्य राशियों की मात्रा के अनुसार श्रेणीबद्ध ऐसे ऋणों की सीमा तक शोध्य ऋणों का,

संदाय करने के पश्चात् इस प्रकार संसूचित की गई शेष रकम कंपनी की आस्तियों पर प्रथम भार होगी।

(5) समापक, कंपनी द्वारा संदेय राशि का संदाय करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा, यदि—

(क) वह उपधारा (1) के अनुसार सूचित करने में असफल रहता है; या

(ख) उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित रकम को अलग रखने में असफल रहता है।

(6) इस धारा के अधीन समापक की बाध्यताएं और दायित्व, ऐसे किसी मामले में, जहां एक से अधिक समापक हैं, संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से सभी समापकों की बाध्यताएं और दायित्व होंगे।

(7) इस धारा के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी बात पर अभिभावी होंगे।

(8) इस धारा में,—

(क) “समापक” के अंतर्गत, ऐसी कंपनी के संबंध में, जिसका किसी न्यायालय के आदेश के अधीन या अन्यथा परिसमापन किया जा रहा है, कंपनी की आस्तियों का कोई रिसीवर भी है;

2013 का 18

(ख) “कर्मकारों को शोध्य राशियों” का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 325 में उसका है।

35. (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय कोई प्रबंधक है, वित्तीय वर्ष के लिए किसी कंपनी के संबंध में इस अधिनियम के अधीन शोध्य किसी रकम का, यदि इस रकम को कंपनी से वसूल नहीं किया जा सकता है तो उसका संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से संदाय करने के लिए दायी होगा।

किसी कंपनी के प्रबंधक का दायित्व।

(2) उपधारा (1) के उपबंध तब लागू नहीं होंगे, यदि प्रबंधक यह साबित कर देता है कि वसूली न किए जाने का कार्य कंपनी के कार्यकलापों के संबंध में उसकी ओर से किसी उपेक्षा, अपकरण या कर्तव्य भंग के कारण हुआ नहीं माना जा सकता है।

2013 का 18

(3) इस धारा के उपबंध कंपनी अधिनियम, 2013 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात पर अभिभावी होंगे।

2013 का 18

(4) इस धारा में “प्रबंधक” के अंतर्गत प्रबंध निदेशक भी है और दोनों का अर्थ वही होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (53) और खंड (54) में क्रमशः उनका है।

36. (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय किसी अनिगमित निकाय में कोई सहभागी है, या मृतक सहभागी का प्रतिनिधि निर्धारिती, अनिगमित निकाय के साथ, संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से, अनिगमित निकाय द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी रकम का संदाय करने के लिए दायी होगा और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

सहभागियों के संयुक्त और पृथक् दायित्व।

(2) किसी सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि भागीदार यह साबित कर देता है कि वसूली न किए जाने का कार्य भागीदारी के कार्यकलापों के संबंध में उसकी ओर से किसी उपेक्षा, अपकरण या कर्तव्य भंग के कारण हुआ नहीं माना जा सकता है।

2009 का 6

(3) इस धारा के उपबंध सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात पर अभिभावी होंगे।

37. यदि संविधान के अनुच्छेद 258 के खंड (1) के अधीन किसी क्षेत्र में कर की वसूली का कार्य राज्य सरकार को सौंपा गया है तो राज्य सरकार उसके किसी भाग के संबंध में यह निदेश दे सकेगी कि उसमें कर की वसूली किसी नगरपालिका कर या स्थानीय रेट के साथ और उसके अतिरिक्त उसी व्यक्ति द्वारा और उसी रीति से की जाएगी, जैसे नगरपालिका कर या स्थानीय रेट की वसूली की जाती है।

राज्य सरकारों के माध्यम से वसूली।

विदेशों या
विनिर्दिष्ट राज्य
क्षेत्र के साथ करारों
के अनुसरण में
शोध्य करें की
वसूली।

38. (1) कर वसूली अधिकारी, ऐसे किसी मामले में जहां निर्धारिती की भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संपत्ति है, निर्धारिती से कर बकाया की वसूली के लिए बोर्ड को एक प्रमाणपत्र अप्रेषित कर सकेगा, जहां कि केन्द्रीय सरकार या भारत में किसी विनिर्दिष्ट संगम द्वारा कर की वसूली के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, आय-कर अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क के अधीन या इस अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन उस देश या राज्यक्षेत्र के साथ करार किया है।

(2) कर वसूली अधिकारी से उपधारा (3) के अधीन प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर, बोर्ड ऐसे देश या किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के साथ करार के निबंधनों को ध्यान में रखते हुए, उस पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जो वह समुचित समझे।

वाद या अन्य विधि
के अधीन वसूली
का प्रभावित न
होना।

39. (1) इस अध्याय में विनिर्दिष्ट वसूली के अनेक ढंग किसी भी प्रकार से—

(क) सरकार को देय त्रैणों की वसूली से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि; या

(ख) किसी निर्धारिती से कर बकाया की वसूली के लिए वाद संस्थित करने के सरकार के अधिकार,

को प्रभावित नहीं करेंगे।

(2) निर्धारण अधिकारी या सरकार के लिए इस बात के होते हुए भी कि कर बकाया की वसूली इस अध्याय में विनिर्दिष्ट किसी अन्य ढंग से निर्धारिती से की जा रही है, यह विधिमान्य होगा कि वह किसी अन्य विधि या वाद को अपनाए।

विवरणी प्रस्तुत
करने में और
अग्रिम कर के
संदाय या उसे
आस्थगित करने में
व्यतिक्रम करने के
लिए ब्याज।

40. (1) जहां निर्धारिती की भारत के बाहर किसी स्रोत से कोई आय है जिसका आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत आय की विवरणी में प्रकटन नहीं किया गया है या उक्त उपधारा के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है, वहां आय-कर अधिनियम की धारा 234क के उपबंधों के अनुसार ब्याज प्रभार्य होगा।

(2) जहां निर्धारिती की भारत के बाहर किसी स्रोत से कोई अप्रकटित आय है और ऐसी आय पर आय-कर अधिनियम के अध्याय 17 के भाग ग के अनुसार अग्रिम कर संदर्भ नहीं किया गया है, वहां आय-कर अधिनियम की धारा 234ख और धारा 234ग के उपबंधों के अनुसार ब्याज प्रभार्य होगा।

अध्याय 4

शास्तियां

अप्रकटित विदेशी
आय और आस्ति
के संबंध में शास्ति।

41. निर्धारण अधिकारी किसी मामले में, जहां अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति के संबंध में धारा 10 के अधीन कर की संगणना की गई है, यह निदेश दे सकेगा कि निर्धारिती उसके द्वारा संदेय कर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, शास्ति के रूप में उस धारा के अधीन संगणित कर की तीन गुणा राशि के बराबर शास्ति का संदाय करेगा।

विदेशी आय और
आस्ति के संबंध में
विवरणी प्रस्तुत
करने में
असफलता के
लिए शास्ति।

42. यदि कोई व्यक्ति, जो आय-कर अधिनियम की धारा 6 के खंड (6) के अर्थात् भारत में मामूली तौर से निवासी न होने से भिन्न कोई निवासी है जिससे आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन या उस उपधारा के परंतुकों द्वारा किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए उसकी आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है और जो ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी समय,—

(i) भारत के बाहर कोई आस्ति (जिसके अन्तर्गत किसी इकाई में वित्तीय हित भी है) हिताधिकारी स्वामी के रूप में अन्यथा धारण किए हुए था; या

(ii) भारत के बाहर किसी आस्ति का (जिसके अंतर्गत किसी इकाई में वित्तीय हित भी है) हिताधिकारी स्वामी था; या

(iii) जिसकी भारत के बाहर अवस्थित किसी स्रोत से आय थी,

सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में दस लाख रुपए की राशि का संदाय करेगा:

परंतु यह धारा ऐसी किसी आस्ति के संबंध में लागू नहीं होगी, जो एक या अधिक बैंक खातों में ऐसा समग्र अतिशेष है, जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय पांच लाख रुपए के समतुल्य मूल्य से अधिक का नहीं है।

1955 का 23

स्पष्टीकरण—विदेशी करेंसी में रखे गए किसी खाते में के अतिशेष का रूपए में समतुल्य मूल्य का अवधारण करने के लिए रुपए में मूल्य की संगणना हेतु विनिमय की दर, उस तारीख को, जिसको इस प्रकार मूल्य का अवधारण किया जाना है, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन स्थापित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा यथा अंगीकृत उस करेंसी की टैलीग्राफिक अंतरण क्रय दर होगी।

43. यदि कोई व्यक्ति, जो आय-कर अधिनियम की धारा 6 के खंड (6) के अर्थात् भारत में मामूली तौर से निवासी न होने से भिन्न निवासी है, जिसने उत्तर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन किसी पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत की है, ऐसी विवरणी में, उस पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति (जिसके अन्तर्गत किसी इकाई के वित्तीय हित भी हैं) से, जो वह हिताधिकारी स्वामी के रूप में या अन्यथा धारण किए हुए था या जिसके संबंध में वह एक हिताधिकारी था, संबंधित या भारत के बाहर अवस्थित किसी स्रोत से किसी आय से संबंधित ऐसी विवरणी में कोई सूचना देने में असफल रहता है या गलत विशिष्टियां देता है, तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में दस लाख रुपए की राशि का संदाय करेगा:

परंतु यह धारा ऐसी आस्ति के संबंध में लागू नहीं होगी, जो एक या अधिक बैंक खातों में ऐसा समग्र अतिशेष है, जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय पांच लाख रुपए के समतुल्य मूल्य से अधिक नहीं है।

स्पष्टीकरण—रुपए में समतुल्य मूल्य का अवधारण धारा 42 के स्पष्टीकरण में उपबंधित रीति से किया जाएगा।

44. (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो, यथास्थिति, कर का संदाय करने में व्यतिक्रम करने वाला निर्धारिती है या व्यतिक्रम करने वाला समझा गया निर्धारिती है और ऐसे निर्धारिती द्वारा व्यतिक्रम चालू रखने की दशा में वह कर की बकाया रकम के बराकर रकम की शास्ति का दायी होगा।

आय की विवरणी में भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति (जिसके अन्तर्गत किसी इकाई में वित्तीय हित भी है) के बारे में कोई सूचना देने में असफलता या गलत विशिष्टियां देने के लिए शास्ति।

(2) निर्धारिती उपधारा (1) के अधीन किसी शास्ति का दायी होने से मात्र इस तथ्य के कारण प्रविरत नहीं होगा कि उसने ऐसी शास्ति के उद्ग्रहण के पूर्व ही कर का संदाय कर दिया है।

कर की बकाया के संदाय में व्यतिक्रम के लिए शास्ति।

45. (1) कोई व्यक्ति शास्ति का दायी होगा, यदि वह किसी युक्तियुक्त कारण के बिना,—

अन्य व्यतिक्रमों के लिए शास्ति।

(क) किसी कर प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में उससे पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में;

(ख) इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम में किसी कथन पर, जिस पर किसी कर प्राधिकारी द्वारा विधिक रूप से उस पर हस्ताक्षर किए जाने की अपेक्षा की जाए, हस्ताक्षर करने में;

(ग) यदि उसके द्वारा कतिपय स्थान और समय पर धारा 8 के अधीन जारी समनों के प्रत्युत्तर में साक्ष्य देने या लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाए, उपस्थित होने या लेखा बहियों या दस्तावेजों को किसी स्थान पर समय पर प्रस्तुत करने में,

असफल रहता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति ऐसी राशि होगी, जो पचास हजार रुपए से कम की नहीं होगी किंतु जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी।

46. (1) कर प्राधिकारी, इस अध्याय के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए, किसी प्रक्रिया। निर्धारिती को उससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि उस पर शास्ति अधिरोपित क्यों न की जानी चाहिए, सूचना जारी करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना —

(क) धारा 41 में निर्दिष्ट शास्त्रियों के संबंध में किसी सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान;

(ख) धारा 45 में निर्दिष्ट शास्त्रियों के संबंध में, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें व्यतिक्रम किया गया है, अन्त से तीन वर्ष की अवधि के भीतर,

जारी की जाएगी।

(3) इस अध्याय के अधीन कोई शास्त्र अधिरोपित करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारिती को सुने जाने का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(4) इस अध्याय के अधीन कोई शास्त्र अधिरोपित करने का कोई आदेश संयुक्त आयुक्त के अनुमोदन से किया जाएगा, यदि—

(क) शास्त्र एक लाख रुपए से अधिक है और शास्त्र उद्घृहीत करने वाला कर प्राधिकारी आय-कर अधिकारी की पंक्ति का है; या

(ख) शास्त्र पांच लाख रुपए से अधिक है और शास्त्र उद्घृहीत करने वाला कर प्राधिकारी सहायक आयुक्त या उपायुक्त की पंक्ति का है।

(5) इस अध्याय के अधीन शास्त्र के प्रत्येक आदेश के साथ अधिरोपित शास्त्र की रकम के संबंध में मांग की सूचना होगी और मांग की ऐसी सूचना को धारा 13 के अधीन सूचना समझा जाएगा।

शास्त्र अधिरोपित करने की परिसीमा का वर्जन। 47. (1) इस अध्याय के अधीन शास्त्र अधिरोपित करने का कोई आदेश उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 46 के अधीन शास्त्र अधिरोपित करने की सूचना जारी की जाती है, अन्त से एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा।

(2) इस अध्याय के अधीन शास्त्र अधिरोपित करने या अधिरोपण की कार्यवाहियों को बन्द करने के किसी आदेश को आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश या धारा 23 या धारा 24 के अधीन पुनरीक्षण के आदेश को प्रभावी करने के पश्चात् यथापुनरीक्षित अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति के निर्धारण के आधार पर, यथास्थिति, पुनरीक्षित या पुनः प्रवर्तित किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन शास्त्र को पुनरीक्षित या पुनः प्रवर्तित करने का कोई आदेश उस मास के, जिसमें आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का आदेश प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त होता है या धारा 23 या धारा 24 के अधीन पुनरीक्षण आदेश पारित किया जाता है अन्त से छह मास की अवधि के अवसान के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमा काल की संगणना करने में निम्नलिखित समय या अवधि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा—

(क) धारा 7 के अधीन निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने में लगा समय; और

(ख) ऐसी कोई अवधि, जिसके दौरान, इस अध्याय के अधीन शास्त्र उद्घृहीत किए जाने की किसी कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है।

अध्याय 5

अपराध और अभियोजन

48. (1) इस अध्याय के उपबंध किसी अन्य विधि के अधीन अपराधों का अभियोजन करने संबंधी उसके उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।

(2) इस अध्याय के उपबंध इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी आदेश, जो किसी व्यक्ति के संबंध में किया जाए या नहीं किया गया है, से स्वतंत्र होंगे और यह इस बात का कोई परिवाद नहीं होगा कि आदेश समय परिसीमा के कारण या किसी अन्य कारण से नहीं किया गया है।

49. यदि कोई व्यक्ति, जो आय-कर अधिनियम की धारा 6 के खंड (6) के अर्थान्तर्गत भारत में मामूली तौर पर निवासी न होने से भिन्न कोई निवासी है, जिसने पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी इकाई में वित्तीय हित भी है) के हिताधिकारी स्वामी के रूप में या अन्यथा कोई आस्ति धारण की है या ऐसी आस्ति का कोई हिताधिकारी था या भारत के बाहर किसी स्रोत से कोई आय थी और जानबूझकर नियत समय के भीतर आय की ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहेगा जिसकी उससे उस अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा:

परंतु इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन नियत समय के भीतर आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए कार्यवाही नहीं की जाएगी, यदि उसके द्वारा विवरणी निर्धारण वर्ष के अवसान से पूर्व प्रस्तुत कर दी जाती है।

50. यदि कोई व्यक्ति, जो आय-कर अधिनियम की धारा 6 के खंड (6) के अर्थान्तर्गत भारत में मामूली तौर पर निवासी न होने से भिन्न कोई निवासी है, जिसने उस अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन किसी पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत की है, जानबूझकर ऐसी विवरणी में भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी इकाई में वित्तीय हित भी है), जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय उसके द्वारा हिताधिकारी स्वामी के रूप में या अन्यथा धारण की हुई है या जिसमें वह कोई हिताधिकारी था, के संबंध में कोई सूचना देने या भारत के बाहर किसी स्रोत से किसी आय का प्रकटन करने में असफल रहेगा, तो वह कठिन कारावास, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा।

51. (1) यदि कोई व्यक्ति, जो आय-कर अधिनियम की धारा 6 के खंड (6) के अर्थान्तर्गत भारत में मामूली तौर पर निवासी न होने से भिन्न कोई निवासी है, जानबूझकर किसी भी रीति से इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय कर, शास्ति या ब्याज के संदाय के अपवंचन का प्रयास करेगा, तो वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उस पर अधिरोपित की जा सकने वाली किसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कठिन कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी भी रीति से इस अधिनियम के अधीन किसी कर, शास्ति या ब्याज के संदाय के अपवंचन का प्रयास करेगा, तो वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उस पर अधिरोपित की जा सकने वाली किसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कठिन कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और न्यायालय के विवेकानुसार जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय किसी कर, शास्ति या ब्याज का या उसका संदाय करने का अपवंचन करने के जानबूझकर प्रयास के अन्तर्गत ऐसा कोई मामला भी सम्मिलित होगा, जहां—

(i) किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में कोई लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज हैं (जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से सुसंगत लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज हैं) जिनमें कोई मिथ्या प्रविष्टि या कथन अंतर्विष्ट है; या

(ii) कोई व्यक्ति ऐसी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों में कोई मिथ्या प्रविष्टि या कथन करता है या करवाता है; या

अध्याय का किसी अन्य विधि या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अल्पीकरण में न होना।

विदेशी आय और आस्ति के संबंध में विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए दंड।

भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी इकाई में वित्तीय हित भी है) के बारे में आय की विवरणी में कोई सूचना देने में असफलता के लिए शास्ति।

जानबूझकर कर के अपवंचन का प्रयास करने के लिए शास्ति।

(iii) कोई व्यक्ति ऐसी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों में जानबूझकर किसी सुसंगत प्रविष्टि या कथन का लोप करता है या लोप करवाता है; या

(iv) कोई व्यक्ति ऐसी अन्य परिस्थिति उत्पन्न करता है, जिसका प्रभाव ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय कर, शास्ति या ब्याज या उसके संदाय का अपवंचन करने में समर्थ बनाना होगा।

सत्यापन में मिथ्या कथन के लिए सत्यापन में कोई ऐसा कथन करेगा या कोई ऐसा लेखा या विवरण परिदृष्ट करेगा जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह यह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या वह ऐसा विश्वास नहीं करता है कि वह सही है, तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा।

दुष्प्रेरण के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सत्यापन में कोई ऐसा कथन करेगा या कोई ऐसा लेखा या विवरण परिदृष्ट करेगा जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह यह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या वह ऐसा विश्वास नहीं करता है कि वह सही है, तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा।

53. यदि कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन संदेय कर के संबंध में ऐसा कोई लेखा या कथन या घोषणा करने और उसका परिदान करने के लिए, जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह यह जानता है कि वह मिथ्या है या वह यह विश्वास नहीं करता है कि वह सही है या धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित या उत्प्रेरित करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा।

54. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किसी अभियोजन में, जिसमें अभियुक्त की सदोष मनःस्थिति की अपेक्षा है, न्यायालय ऐसी मनःस्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा किंतु यह अभियुक्त के लिए इस तथ्य को साबित करना प्रतिरक्षा होगी कि उसकी उस अभियोजन में आरोपित कृत्य के संबंध में ऐसी मनःस्थिति नहीं थी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में “सदोष मनःस्थिति” में किसी आशय, हेतु या किसी तथ्य की जानकारी या किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास करने का कारण सम्मिलित है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य को केवल तभी साबित हुआ कहा जाएगा जब न्यायालय उसके किसी युक्तियुक्त संदेह के परे विद्यमान होने का विश्वास करता है न कि केवल तब जब उसकी विद्यमानता अधिसंभाव्यता की प्रबलता द्वारा साबित हुई है।

अभियोजन का प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त की पहल पर किया जाना। 55. (1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 49 से धारा 53 (दोनों सम्मिलित) के अधीन किसी अपराध के लिए कार्यवाही, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त (अपील) की मंजूरी से ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

(2) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर प्राधिकारियों को ऐसे अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा, जो वह इस धारा के अधीन कार्यवाहियों को संस्थित करने के लिए उचित समझे।

(3) बोर्ड की इस अधिनियम के अधीन आदेश, अनुदेश या निदेश जारी करने की शक्ति के अन्तर्गत (जिसके अन्तर्गत उसके पूर्वानुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए अनुदेश या निदेश भी हैं) इस धारा के अधीन अपराधों की कार्यवाहियों को उचित रूप से संस्थित किए जाने के लिए (जिसके अन्तर्गत एक या अधिक कर निरीक्षकों द्वारा शिकायतों के फाइल किए जाने और उनकी पैरवी किए जाने का प्राधिकार भी है) अन्य कर प्राधिकारियों को आदेश, अनुदेश या निदेश जारी करने की शक्ति भी है।

कंपनियों द्वारा अपराध। 56. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे।

(2) उपधारा (1) की कोई बात ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि ऐसा अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस उपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

(4) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है, जो कंपनी है, और ऐसे अपराध के लिए दंड कारावास और जुर्माना है, वहां उपधारा (1) या उपधारा (3) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी कंपनी को जुर्माने से दंडित किया जाएगा और उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति या उपधारा (3) में निर्दिष्ट निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे।

(5) इस धारा में,—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें,—

(i) कोई अनिगमित निकाय;

(ii) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब,

सम्मिलित है;

(ख) “निदेशक” से,—

(i) किसी अनिगमित निकाय के संबंध में उस निकाय में कोई सहभागी अभिप्रेत है;

(ii) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के संबंध में, कुटुम्ब का कोई वयस्क सदस्य अभिप्रेत है; और

(iii) कंपनी के संबंध में कोई पूर्णकालिक निदेशक या जहां ऐसा कोई निदेशक नहीं है वहां कोई ऐसा अन्य निदेशक या प्रबंधक या अधिकारी अभिप्रेत है जो कंपनी के कार्यकलापों का भारसाधक है।

57. (1) किसी कर प्राधिकारी की अभिरक्षा में के अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों की प्रविष्टियां इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के अभियोजन की किसी कार्यवाही में साक्ष्य में ग्रहण की जाएंगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रविष्टियों को, निम्नलिखित को पेश करके साबित किया जा सकेगा,—

(क) कर प्राधिकारी की अभिरक्षा में के अभिलेख या अन्य दस्तावेज (जिनमें ऐसी प्रविष्टियां हैं); या

(ख) उन प्रविष्टियों की प्रति, जिन्हें उस प्राधिकारी द्वारा, अपने हस्ताक्षर से अपनी अभिरक्षा में के अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों में अंतर्विष्ट मूल प्रविष्टियों की सही प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया है।

58. यदि धारा 49 से धारा 53 तक (दोनों सम्मिलित) के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध कोई व्यक्ति पूर्वोक्त उपबंधों में से किसी उपबंध के अधीन किसी अपराध का पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तो वह द्वितीय या प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कठिन कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी और जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

अभिलेखों या दस्तावेजों में प्रविष्टियों का सबूत।

द्वितीय और पश्चात्वर्ती अपराधों के लिए दंड।

अध्याय 6

अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियों के लिए कर अनुपालन

59. इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात्, केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उसके पहले, भारत के बाहर अवस्थित और 1 अप्रैल, 2016 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पूर्व किसी निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य आय से अर्जित किसी अप्रकटित ऐसी आस्ति के संबंध में,—

अप्रकटित विदेशी आस्ति की घोषणा।

(क) जिसके लिए वह आय-कर अधिनियम की धारा 139 के अधीन विवरणी देने में असफल रहा है;

(ख) जिसे वह इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व आय-कर अधिनियम के अधीन उसके द्वारा दी गई आय की विवरणी में प्रकट करने में असफल रहा है;

(ग) जो आय-कर अधिनियम के अधीन विवरणी देने या निर्धारण के लिए या उससे अन्यथा आवश्यक सभी तात्त्विक तथ्यों को पूर्णतः या सही तौर पर प्रकट करने के लिए ऐसे व्यक्ति की ओर से चूक या असफल रहने के कारण निर्धारण से छूट गई है,

घोषणा कर सकेगा।

कर का प्रभारण। 60. आय-कर अधिनियम में या किसी वित्त अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भारत के बाहर अवस्थित और धारा 59 के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर घोषित अप्रकटित आस्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को ऐसी अप्रकटित आस्ति के मूल्य के तीस प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य होगी।

शास्ति। 61. आय-कर अधिनियम या किसी वित्त अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत के बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति की घोषणा करने वाला कोई व्यक्ति, धारा 60 के अधीन प्रभारित कर के अतिरिक्त ऐसे कर के शत-प्रतिशत की दर से शास्ति का दायी होगा।

घोषणा की रीति। 62. (1) धारा 59 के अधीन कोई घोषणा प्रधान आयुक्त या आयुक्त को की जाएगी और यह ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति से सत्यापित की जाएगी, जो विहित की जाए।

(2) घोषणा पर,—

(i) जहां घोषणाकर्ता एक व्यष्टि है, वहां स्वयं व्यष्टि द्वारा, जहां ऐसा व्यष्टि भारत से अनुपस्थित है, वहां संबद्ध व्यष्टि द्वारा या उसके द्वारा इस निमित सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और जहां व्यष्टि अपने कार्यकलापों पर ध्यान देने में मानसिक रूप से असमर्थ है, वहां उसके संरक्षक द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;

(ii) जहां घोषणाकर्ता हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, वहां कर्ता द्वारा और जहां कर्ता भारत से अनुपस्थित है या अपने कार्यकलापों पर ध्यान देने में मानसिक रूप से असमर्थ है वहां ऐसे कुटुम्ब के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा;

(iii) जहां घोषणाकर्ता कोई कंपनी है, वहां उसके प्रबंध निदेशक द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंधक निदेशक घोषणा पर हस्ताक्षर करने में समर्थ नहीं है या जहां कोई प्रबंध निदेशक नहीं है वहां उसके किसी निदेशक द्वारा;

(iv) जहां घोषणाकर्ता एक फर्म है, वहां उसके प्रबंध भागीदार द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध भागीदार घोषणा पर हस्ताक्षर करने में समर्थ नहीं है या जहां उस रूप में कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, वहां उसके किसी भागीदार द्वारा, जो अवयस्क नहीं है;

(v) जहां घोषणाकर्ता कोई अन्य संगम है, वहां संगम के किसी सदस्य या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा; और

(vi) जहां घोषणाकर्ता कोई अन्य व्यक्ति है, वहां उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा,

हस्ताक्षर किया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति, जिसने धारा (1) के अधीन अपनी आस्ति के संबंध में या किसी अन्य व्यक्ति की आस्ति के संबंध में प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में घोषणा की है, उस उपधारा के अधीन अपनी आस्ति या ऐसे अन्य व्यक्ति की आस्ति के संबंध में कोई अन्य घोषणा करने का हकदार नहीं होगा और कोई ऐसी अन्य घोषणा, यदि की गई है तो शून्य समझी जाएगी।

63. (1) भारत के बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति के संबंध में धारा 60 के अधीन संदेय कर और धारा 61 के अधीन संदेय शास्ति का संदाय केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख को लिए समय। या उसके पहले किया जाएगा।

(2) घोषणाकर्ता ऐसे प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पास, जिसके समक्ष धारा 59 के अधीन घोषणा की गई थी, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख को या उसके पूर्व कर और शास्ति के संदाय का सबूत फाइल करेगा।

(3) यदि कोई घोषणाकर्ता उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख को या उसके पूर्व धारा 59 के अधीन की गई घोषणा की बाबत कर का संदाय करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा फाइल की गई घोषणा के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अध्याय के अधीन कभी भी नहीं की गई थी।

64. धारा 59 के अनुसार घोषित भारत के बाहर अवस्थित आस्ति में अप्रकटित निवेश की रकम आय-कर अधिनियम के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए घोषणाकर्ता की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी, यदि घोषणाकर्ता, धारा 60 में निर्दिष्ट कर का संदाय और धारा 61 में निर्दिष्ट शास्ति का संदाय, धारा 63 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख तक कर देता है।

1957 का 27

65. घोषणाकर्ता, घोषित भारत के बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति के संबंध में, या उस पर संदत्त कर की किसी रकम का आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन किए गए निर्धारण या पुनर्निधारण को नए सिरे से आरंभ करने के लिए या ऐसे निर्धारण या पुनर्निर्धारण के संबंध में किसी अपील, निर्देश या अन्य कार्यवाही में किसी मुजरा या अनुतोष का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

1957 का 27

66. धारा 59 के अधीन की गई घोषणा के अनुसरण में, धारा 60 के अधीन संदत्त कर या धारा 61 के अधीन संदत्त शास्ति की रकम प्रतिदेय नहीं होगी।

1999 का 42

67. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 59 के अधीन की गई किसी घोषणा में अंतर्विष्ट कोई बात, धारा 61 के अधीन उद्गृहणीय शास्ति से भिन्न शास्ति के अधिरोपण से संबंधित किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए या आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 या कंपनी अधिनियम, 2013 या सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अभियोजन के प्रयोजनों के लिए घोषणाकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी।

2013 का 18

68. इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई घोषणा तथ्यों के दुर्व्यवदेशन या उन्हें छिपाकर की गई है वहां उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अध्याय के अधीन कभी भी नहीं की गई थी।

1962 का 52

69. (1) जहां भारत के बाहर अवस्थित अप्रकटित ऐसी आस्ति,—

1957 का 27

(क) जिसके संबंध में घोषणाकर्ता 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पूर्व आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 14 के अधीन विवरणी फाइल करने में असफल रहा है; या

(ख) जिसे, उक्त निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए उसके द्वारा दी गई शुद्ध धन की विवरणी में नहीं दर्शाया गया है; या

(ग) जिसे उक्त निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत शुद्ध धन की विवरणी में मूल्य से कम करके बताया गया है,

1957 का 27

धारा 59 के अधीन की गई घोषणा में विनिर्दिष्ट नकद (जिसके अंतर्गत बैंक निक्षेप भी हैं), सोना-चांदी या किन्हीं अन्य आस्तियों द्वारा व्यपदिष्ट की गई है, वहां धन-कर अधिनियम, 1957 या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(I) घोषणाकर्ता द्वारा, खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आस्तियों के संबंध में धन-कर संदेय नहीं होगा और ऐसी आस्ति को उक्त निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए उसके शुद्ध धन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा;

कर के संदाय के लिए समय।

घोषित अप्रकटित विदेशी आस्ति का कुल आय में सम्मिलित न किया जाना।

घोषित अप्रकटित विदेशी आय का संगृहि निर्धारणों की अन्तिमता पर प्रभाव न पड़ना।

स्वेच्छा प्रकटित आस्ति के संबंध में कर का प्रतिदेय न होना।

घोषणाकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य में घोषणा का ग्राह्य न होना।

तथ्यों के दुर्व्यवदेशन द्वारा घोषणा का शून्य होना।

घोषणा में विनिर्दिष्ट आस्तियों के संबंध में धन-कर से छूट।

(II) उतनी रकम, जितनी उक्त निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए शुद्ध धन की विवरणी में खंड (ग) में निर्दिष्ट आस्तियों के मूल्य को कम करके बताई गई है, उस परिमाण तक जिस तक ऐसी रकम ऐसी आस्ति को अर्जित करने के लिए उपयोजित स्वेच्छ्या प्रकटित आय से अधिक नहीं है, उक्त निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए घोषणाकर्ता के शुद्ध धन की संगणना करने के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी।

स्पष्टीकरण—जहां धारा 59 के अधीन कोई घोषणा किसी फर्म द्वारा की जाती है, वहां, यथास्थिति, खंड (I) में निर्दिष्ट आस्तियों या, खंड (II) में निर्दिष्ट रकम को, यथास्थिति, फर्म के किसी भागीदार के शुद्ध धन की संगणना करने में या फर्म के किसी भागीदार के ब्याज के मूल्य का अवधारण करने में हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंध तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक घोषणाकर्ता द्वारा धारा 63 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं कर दी जाती हैं।

आय-कर अधिनियम और धन-कर अधिनियम के अध्याय 5 के क्रियान्वयन उपबंधों का लागू न होना।

70. विशेष दशाओं में दायित्व से संबंधित आय-कर अधिनियम के अध्याय 15 और उस अधिनियम की धारा 189 के या विशेष दशाओं में निर्धारण के प्रति दायित्व से संबंधित धन-कर अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंध, जहां तक कि इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में लागू होते हैं, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि कि वे, यथास्थिति, आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में लागू होते हैं।

अध्याय का क्रियान्वयन उपबंधों का लागू न होना।

71. इस अध्याय के उपबंध,—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिसके संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन निरोध का आदेश दिया गया है :

1974 का 52

परन्तु,—

(i) निरोध का ऐसा आदेश, जो एक ऐसा आदेश है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 या धारा 12क के उपबंध लागू नहीं होते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व वापस नहीं लिया गया है; या

(ii) निरोध का ऐसा आदेश, जो एक ऐसा आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध लागू होते हैं, धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन पुनर्विलोकन के समय की समाप्ति के पूर्व या उसके आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर वापस नहीं लिया गया है; या

(iii) निरोध का ऐसा आदेश, जो एक ऐसा आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 12क के उपबंध लागू होते हैं, उस धारा की उपधारा (3) के अधीन प्रथम पुनर्विलोकन के समय की समाप्ति के पूर्व या उसके आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर वापस ले लिया गया है; या

(iv) निरोध का ऐसा आदेश, सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है;

(ख) भारतीय दंड संहिता के अध्याय 9 या अध्याय 17, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के संबंध में लागू नहीं होंगे;

1860 का 45
1985 का 61
1967 का 37
1988 का 49

(ग) विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे;

1992 का 27

(घ) भारत के बाहर अवस्थित ऐसी किसी अप्रकटित आस्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे, जो आय-कर अधिनियम के अधीन 1 अप्रैल, 2016 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के पूर्व के निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए कर से प्रभार्य आय से अर्जित की गई है,—

(i) जहां आय-कर अधिनियम की धारा 142 या धारा 143 की उपधारा (2) या धारा 148 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन सूचना ऐसे निर्धारण वर्ष के संबंध में जारी की गई है और कार्यवाही निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित है; या

(ii) जहां किसी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम की धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई है या धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण किया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए सूचना या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन कोई सूचना या ऐसे पूर्ववर्ष के पूर्व के किसी पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए सूचना जारी नहीं की गई है और ऐसी सूचना के जारी किए जाने का समय समाप्त नहीं हुआ है; या

(iii) जहां कोई सूचना सक्षम प्राधिकारी द्वारा आय-कर अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी करार के अधीन ऐसी अप्रकटित आस्ति के संबंध में प्राप्त हुई है।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजन के लिए आस्ति के अंतर्गत कोई बैंक खाता भी आएगा, चाहे उसमें कोई अतिशेष हो अथवा नहीं।

72. शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि—

शंकाओं का दूर किया जाना।

(क) धारा 69 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में जैसा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इस अध्याय के अधीन घोषणा करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को कोई फायदा, रियायत या उन्मुक्ति प्रदान की गई है;

(ख) जहां कोई घोषणा धारा 59 के अधीन की गई है, किंतु धारा 60 और धारा 61 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी कर और शास्ति का संदाय नहीं किया गया है, वहां इस अधिनियम के अधीन ऐसी आस्ति का मूल्य उस पूर्ववर्ष में कर से प्रभार्य होगा, जिसमें ऐसी घोषणा की गई है;

(ग) जहां कोई आस्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अर्जित की गई है या बनाई गई है, और ऐसी आस्ति के संबंध में इस अध्याय के अधीन कोई घोषणा नहीं की गई है, वहां ऐसी आस्ति उस वर्ष में अर्जित की गई या बनाई गई समझी जाएगी, जिसमें निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 10 के अधीन कोई सूचना जारी की जाती है और तदनुसार इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

अध्याय 7

साधारण उपबंध

73. (1) केंद्रीय सरकार किसी अन्य देश की सरकार के साथ,—

विदेशों या विनिर्दिष्ट राज्य-क्षेत्रों के साथ करार।

(क) इस अधिनियम के अधीन या उस देश में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन प्रभार्य अप्रकटित विदेशी आय पर कर के अपवंचन या परिवर्तन को रोकने हेतु जानकारी के आदान-प्रदान के लिए या ऐसे अपवंचन या परिवर्जन के मामलों के अन्वेषण के लिए;

(ख) इस अधिनियम के अधीन और उस देश में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन कर की वसूली के लिए,

करार कर सकेगी।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार के साथ करार कर सकेगी।

(3) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट करारों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो।

(4) भारत में विनिर्दिष्ट कोई संगम भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में के विनिर्दिष्ट किसी संगम के साथ उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कोई करार कर सकेगा और केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो ऐसे करार को अंगीकार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों।

(5) ऐसे किसी पद का, जो इस अधिनियम में या उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट करार में प्रयुक्त है, किंतु परिभाषित नहीं है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो और इस अधिनियम या करार के उपबंधों से असंगत नहीं है, वही अर्थ होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में उसका है और ऐसे अर्थ को उस तारीख से प्रभावी समझा जाएगा जिसको वह करार प्रवृत्त होता है।

साधारणतया सूचना
की तामील।

74. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी सूचना, समन, अध्यपेक्षा, आदेश या किसी अन्य संसूचना (जिसे इसमें “संसूचना” कहा गया है) की तामील उसमें नामित व्यक्ति को निम्नलिखित द्वारा उसकी एक प्रति परिदृष्ट करके या संप्रेषित करके की जा सकेगी,—

(क) डाक या ऐसी कुरियर सेवा द्वारा, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाए;

(ख) ऐसी रीति से, जो समन की तामील के प्रयोजनों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के 1908 का 5 अधीन उपबंधित की गई है;

(ग) जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अध्याय 4 में यथा उपबंधित किसी इलैक्ट्रॉनिक 2000 का 21 अभिलेख के रूप में; या

(घ) दस्तावेजों के प्रेषण के किसी अन्य साधन द्वारा, जिसके अंतर्गत फैक्स संदेश या इलैक्ट्रॉनिक डाक संदेश भी है, जो विहित किया जाए।

(2) बोर्ड, उन पतों के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक डाक या इलैक्ट्रॉनिक डाक संदेश के लिए पता भी है, जिस पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट संसूचना उसमें नामित व्यक्ति को परिदृष्ट या संप्रेषित की जा सकेगी।

(3) इस धारा में, “इलैक्ट्रॉनिक डाक” और “इलैक्ट्रॉनिक डाक संदेश” पदों के बहीं अर्थ हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66क के स्पष्टीकरण में उनके हैं। 2000 का 21

सूचनाओं और
अन्य दस्तावेजों का
अधिप्रमाणन।

75. (1) किसी कर प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जारी की जाने तथा तामील की जाने या दी जाने के लिए अपेक्षित कोई सूचना या कोई अन्य दस्तावेज, उस प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

(2) किसी कर प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जारी की जाने वाली, तामील की जाने वाली या दी जाने वाली प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज यदि अभिहित नामनिर्दिष्ट कर प्राधिकारी का नाम और पद उस पर मुद्रित, स्टांपित या अन्यथा लिखित है तो अधिप्रमाणित किया गया समझा जाएगा।

(3) इस धारा में अभिहित प्राधिकारी से उपधारा (2) में यथा उपबंधित रीति से अधिप्रमाणन के पश्चात् ऐसी सूचना या दस्तावेज जारी करने, तामील करने या देने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई कर प्राधिकारी अभिप्रेत है।

सूचना का कठिपय
परिस्थितियों में
विधिमान्य समझा
जाना।

76. (1) किसी ऐसी सूचना की, जिसकी इस अधिनियम के अधीन निर्धारण के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति पर तामील की जानी अपेक्षित है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उस पर सम्यक् रूप से तामील की गई समझी जाएगी यदि वह व्यक्ति किसी निर्धारण से संबंधित किसी जांच की कार्यवाही में उपसंजात हो गया है या उसने जांच में सहयोग किया है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में कोई आक्षेप करने से प्रभारित होगा कि सूचना की—

(क) उस पर तामील नहीं की गई थी;

(ख) समय के भीतर उस पर तामील नहीं की गई थी; या

(ग) उस पर अनुचित रीति से तामील की गई थी।

(3) यदि कोई व्यक्ति निर्धारण पूरा होने के पहले आक्षेप करता है तो इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे।

77. (1) कोई निर्धारिती, जो किसी कर प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष किसी आस्ति के मूल्यांकन से संबंधित किसी मामले में उपस्थित होने के लिए हकदार या अपेक्षित है, ऐसे नियमों द्वारा, जो विहित किए जाएं, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अनुमोदित मूल्यांकक के माध्यम से उपस्थित हो सकेगा।

कतिपय मामलों में
अनुमोदित मूल्यांकक
द्वारा हाजिरी।

(2) उपधारा (1) के उपबंध किसी ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे, जहां निर्धारिती से धारा 8 के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना अपेक्षित है।

78. (1) कोई निर्धारिती, जो किसी कर प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में उपस्थित होने के लिए हकदार या अपेक्षित है, प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकेगा।

प्राधिकृत प्रतिनिधि के
द्वारा हाजिरी।

(2) उपधारा (1) के उपबंध किसी ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे, जहां निर्धारिती से धारा 8 के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना अपेक्षित है।

(3) इस धारा में “प्राधिकृत प्रतिनिधि” से निर्धारिती द्वारा अपनी ओर से हाजिर होने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, जो—

(क) किसी रीति में निर्धारिती से संबंधित है या निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति है;

(ख) ऐसे अनुसूचित बैंक का कोई अधिकारी, जिसमें निर्धारिती चालू खाता रखता है या अन्य नियमित व्यवहार करता है;

(ग) ऐसा विधि व्यवसायी है, जो भारत में किसी सिविल न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार है;

(घ) कोई लेखाकार है;

(ङ) ऐसा व्यक्ति है, जिसने बोर्ड द्वारा इस निमित्त मान्यताप्राप्त कोई लेखाकर्म परीक्षा पास की है;

(च) ऐसा कोई व्यक्ति है, जिसने ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं अर्जित की हैं, जो विहित की जाएं।

(4) निम्नलिखित व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्ह नहीं होंगे, अर्थात्—

(क) ऐसा व्यक्ति, जिसे सरकारी सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है;

(ख) ऐसा विधि व्यवसायी या लेखाकार, जो किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा अपनी वृत्तिक हैसियत में अवचार का दोषी पाया जाता है, जो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां संस्थित करने का हकदार है;

(ग) ऐसा व्यक्ति, जो विधि व्यवसायी या लेखाकार नहीं है, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो विहित किया जाए, किन्हीं कर कार्यवाहियों के संबंध में अवचार का दोषी पाया जाता है।

(5) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, अवचार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, लिखित आदेश द्वारा ऐसी अवधि विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिस तक उपधारा (4) के अधीन निरहता जारी रहेगी और ऐसी निरहता,—

(i) उपधारा (4) के खंड (क) और खंड (ग) की दशा में, दस वर्ष की अवधि से अधिक की नहीं होगी ;

(ii) उपधारा (4) के खंड (ख) की दशा में, ऐसी अवधि से अधिक की नहीं होगी, जिसके लिए विधि व्यवसायी या लेखाकार व्यवसाय करने का हकदार नहीं है।

(6) ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में हाजिर होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसने कोई कपट या तथ्यों का ऐसा दुर्व्यवहार किया है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई है और प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त के आदेश द्वारा उस व्यक्ति को ऐसा घोषित किया गया है।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, 'लेखाकार' से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की 1949 का 38 उपधारा (1) के खंड (ख) में यथा परिभाषित ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है, जिसके पास अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय का विधिमान्य प्रमाणपत्र है।

आय, आस्ति मूल्य और कर का पूर्णांकन।

79. (1) इस अधिनियम के अनुसार संगणित अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति की रकम को एक सौ रुपए के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय या प्राप्य किसी रकम को दस रुपए के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन पूर्णांकन करने की पद्धति वह होगी, जो विहित की जाए।

अपराधों का संज्ञान।

80. महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अबर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

कतिपय आधारों पर निर्धारण का अविधि-मान्य न होना।

81. इस अधिनियम के उपर्युक्तों में से किसी के अनुसरण में किया गया निर्धारण या जारी की गई सूचना, समन या ग्रहण की गई अन्य कार्यवाहियां या तात्पर्यित रूप से किया गया निर्धारण या जारी की गई सूचना, समन या ग्रहण की गई अन्य कार्यवाहियां, ऐसे निर्धारण, सूचना, समन या अन्य कार्यवाही में मात्र किसी भूल, त्रुटि या लोप के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी या अविधिमान्य नहीं समझी जाएंगी, यदि ऐसा निर्धारण, सूचना, समन या अन्य कार्यवाही सारबान् और प्रभावी रूप से इस अधिनियम के आशय और प्रयोजन के अनुरूप या अनुसार है।

सिविल न्यायालयों में वादों का वर्जन।

82. (1) इस अधिनियम के अधीन की गई किसी कार्यवाही या किए गए किसी आदेश को अपास्त करने या उपांतरित करने के लिए किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन सदूभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आय-कर के कागजपत्रों का उपलब्ध कराया जाना।

83. आय-कर अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम के उपर्युक्तों के अधीन किए गए या प्रस्तुत या उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिप्राप्त या एकत्रित किसी कथन या विवरणी में अंतर्विष्ट सभी सूचना का उपयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा।

आय-कर अधिनियम के उपर्युक्तों का लागू होना।

84. आय-कर अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ), धारा 90क की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ), धारा 119, धारा 133, धारा 134, धारा 135, धारा 138, अध्याय 15, धारा 237, धारा 240, धारा 245, धारा 280, धारा 280क, धारा 280ख, धारा 280घ, धारा 281, धारा 281ख और धारा 284 के उपर्युक्त आवश्यक उपांतरणों के साथ इस प्रकार लागू होंगे, मानो उक्त उपर्युक्तों में आय-कर की बजाय अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति के प्रति निर्देश किया गया है।

नियम बनाने की शक्ति।

85. (1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपर्युक्तों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगमी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपर्युक्त किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अप्रकटित विदेशी आस्ति के मूल्य का अवधारण करने की रीति;

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी के लिए विहित किए जाने वाले कर प्राधिकारी;

- (ग) धारा 13 के अधीन मांग की सूचना की तारीख करने का प्ररूप और रीति;
- (घ) वह प्ररूप, जिसमें अपील, पुनरीक्षण या प्रति-आक्षेप इस अधिनियम के अधीन फाइल किए जा सकेंगे, वह रीति, जिसमें वे सत्यापित किए जा सकेंगे और उसके संबंध में संदेय फीस;
- (ङ) वह प्ररूप, जिसमें कर वसूली अधिकारी धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन कर बकाया की विवरणी तैयार कर सकेगा;
- (च) वह रीति, जिसमें राशि धारा 32 की उपधारा (2) या उपधारा (5) के अधीन केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में संदत्त की जानी होगी;
- (छ) वह रीति, जिसमें कर वसूली अधिकारी धारा 33 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई प्रमाणपत्र भेजेगा;
- (ज) वह प्ररूप, जिसमें धारा 62 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई घोषणा की जानी होगी और वह रीति, जिसमें उसे सत्यापित किया जाना होगा;
- (झ) धारा 74 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन दस्तावेजों के पारेषण के साधन;
- (ञ) धारा 77 के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा किसी मूल्यांकक के अनुमोदन की प्रक्रिया;
- (ट) धारा 78 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधि होने के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं;
- (ठ) धारा 78 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन कर प्राधिकारी;
- (ड) धारा 79 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट रकम का पूर्णांकन किए जाने की पद्धति;
- (ढ) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत नियमों को या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व की तारीख न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है, और ऐसे किसी नियम को इस प्रकार भूतलक्षी रूप से प्रभावी नहीं किया जाएगा, जिससे कि निर्धारितियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(4) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अर्थवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

86. (1) यदि अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार कठिनाइयों को दूर ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी।

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

1963 के
अधिनियम
संख्यांक 54 की
धारा 2 का
संशोधन।

2003 के
अधिनियम
संख्यांक 15 का
संशोधन।

87. केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 की धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (1) में,—
(क) मद (ix) के अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा; और
(ख) इस प्रकार संशोधित मद (ix) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी,
अर्थात्:—

“(x) काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण
अधिनियम, 2015; और”।

88. धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची के भाग ग में, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 18 1860 का 45
के अधीन संपत्ति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित प्रविष्टि (3) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की
जाएगी, अर्थात्:—

“(4) काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015
की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी कर, शास्ति या ब्याज के अपवंचन के स्वैच्छिक प्रयास का अपराध।”।

परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 26)

[26 दिसम्बर, 2015]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

(2) यह 15 जून, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1881 का 26

2. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 में,—

(i) स्पष्टीकरण 1 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

धारा 6 का संशोधन।

‘(क) “इलैक्ट्रॉनिक रूप में चेक” से किसी कंप्यूटर साधन का उपयोग करके इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से लिखा गया और किसी सुरक्षित प्रणाली में अंकीय चिह्नक (जैवमिति चिह्नक सहित या उसके बिना) सहित तथा, यथास्थिति, असमिति गूढ़ प्रणाली या इलैक्ट्रॉनिक चिह्नक सहित लिखा गया कोई चेक अभिप्रेत है;’;

(ii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण 3—इस धारा के प्रयोजन के लिए, “असमित गूढ़ प्रणाली”, “कंप्यूटर साधन”, “अंकीय चिह्नक”, “इलैक्ट्रॉनिक रूप” और “इलैक्ट्रॉनिक चिह्नक” के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में उनके हैं।”

2000 का 21

धारा 142 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 142 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(2) धारा 138 के अधीन दंडनीय अपग्रह की जांच और उसका विचारण, केवल ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर,—

(क) यदि चेक किसी खाते के माध्यम से संग्रहण के लिए परिदृष्ट किया जाता है तो, बैंक की शाखा जहां पर, यथास्थिति, सम्यक् अनुक्रम में, पाने वाला या धारक खाता बनाए रखता है, स्थित है; या

(ख) यदि चेक, सम्यक् अनुक्रम में, पाने वाले या धारक द्वारा, संदाय के लिए खाते के माध्यम से अन्यथा प्रस्तुत किया जाता है, उपरवाल की बैंक की शाखा, जहां पर लेखीवाल खाता बनाए रखता है, स्थित है।

स्पष्टीकरण—खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई चेक सम्यक् अनुक्रम में पाने वाले या धारक के बैंक की किसी शाखा में संग्रहण के लिए परिदृष्ट किया जाता है वहां चेक बैंक की उस शाखा में परिदृष्ट किया गया समझा जाएगा जिसमें यथास्थिति, पाने वाला या धारक, सम्यक् अनुक्रम में, खाता बनाए रखता है।”।

नई धारा 142क का अंतःस्थापन।

लंबित मामलों के अंतरण का विधिमान्यकरण।

4. मूल अधिनियम की धारा 142 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“142क. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा यथा संशोधित धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अंतरित सभी मामले इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार अंतरित किए जाएंगे माने वह उपधारा सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त थी।”।

(2) धारा 142 की उपधारा (2) या उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां सम्यक् अनुक्रम में, यथास्थिति, पाने वाले ने या धारक ने, धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में किसी चेक के लेखीवाल के विरुद्ध कोई परिवाद फाइल किया है या उपधारा (1) के अधीन मामला उस न्यायालय को अंतरित किया गया है और ऐसा परिवाद उस न्यायालय में लंबित है, वहां उसी लेखीवाल के विरुद्ध धारा 138 से उद्भूत होने वाले सभी पश्चात्वर्ती परिवाद, इस बात पर विचार किए बिना कि क्या वे चेक उस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर संग्रहण के लिए परिदृष्ट या संदाय के लिए प्रस्तुत किए गए थे, उसी न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाएंगे।

(3) यदि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख को, यथास्थिति, उसी पाने वाले या धारक द्वारा सम्यक् अनुक्रम में चेकों के उसी लेखीवाल के विरुद्ध फाइल किए गए एक से अधिक अधियोजन धन्न-धन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं, तो न्यायालय की अवैक्षा में उक्त तथ्य लाए जाने पर, वह न्यायालय परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा यथा संशोधित धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारिता रखने वाले ऐसे न्यायालय को, जिसके समक्ष पहला मामला फाइल किया गया था और लंबित है, वह मामला इस प्रकार अंतरित कर देगा, माने वह उपधारा सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त थी।”।

निरसन और व्यावृत्ति।

5. (1) परक्राम्य लिखत (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

2015 का अध्यादेश

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

संख्यांक 7

परमाणु ऊर्जा (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2016 का अधिनियम संख्यांक 5)

[31 दिसम्बर, 2015]

परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

‘(खख) “सरकारी कंपनी” से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसमें—

- (i) केन्द्रीय सरकार द्वारा इक्यावन प्रतिशत से अन्यून समादर्त शेयर पूँजी धारित की जाती है: या

(ii) संपूर्ण समादत शेयर पूँजी, उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों द्वारा धारित की जाती है और इसके संगम अनुच्छेदों द्वारा केन्द्रीय सरकार को इसके निदेशक बोर्ड को ग्रहित और पर्नग्रहित करने के लिए सशक्त करती है।'

धारा 14 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(1क) उपधारा (1) के खंड(ii) के उपखंड (ग) के अधीन कोई अनुज्ञाप्ति केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण या किसी संस्था या किसी निगम या किसी सरकारी कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी।

(1ख) उपधारा (1) के अधीन किसी सरकारी कंपनी को प्रदत्त कोई भी अनुज्ञाप्ति उस दशा में रद्द हो जाएगी जब अनुज्ञाप्तिधारी कोई सरकारी कंपनी नहीं रह जाती है तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसकी सभी आस्तियां किसी भी दायित्व से मुक्त केन्द्रीय सरकार में निहित होंगी और केन्द्रीय सरकार संयंत्र के सुरक्षित प्रचालन के सभी उपाय करेगा तथा उसमें इस प्रकार निहित नाभिकीय सामग्री के निपटान के लिए ऐसे उपाय करेगी जो वह धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आवश्यक समझे।”।

बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2016 का अधिनियम संख्यांक 6)

[31 दिसम्बर, 2015]

बोनस संदाय अधिनियम, 1965

का और संशोधन

करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1965 का 21

2. बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 का संशोधन। के खंड (13) में, “दस हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर “इकीस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

धारा 12 का संशोधन।

(i) “तीन हजार पाँच सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, क्रमशः “सात हजार रुपए या समुचित सरकार द्वारा, अनुसूचित नियोजन के लिए यथा नियत न्यूनतम मजदूरी, इनमें से जो भी उच्चतर हो” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए “अनुसूचित नियोजन” शब्द का वही अर्थ

1948 का 11

होगा जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (छ) में है।’।

धारा 38 का संशोधन। 4. मूल अधिनियम की धारा 38 में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी,
अर्थात्:—

“(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित
करने के लिए पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन, नियम बना सकेगी।”।

चीनी उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2016 का अधिनियम संख्यांक 9)

[8 जनवरी, 2016]

चीनी उपकर अधिनियम, 1982
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चीनी उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।
(2) यह उस तारीख का प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
2. चीनी उपकर अधिनियम, 1982 की धारा 3 की उपधारा (1) में, “पच्चीस रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दो सौ रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

अधिनियम की धारा 3
का संशोधन।

निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 10)

[3 मार्च, 2016]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और
 परिसीमन अधिनियम, 2002
 का और संशोधन
 करने के लिए
 अधिनियम

भारत गणराज्य के सङ्गठनों वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।
- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

अध्याय 2

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का संशोधन

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (1) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित धारा 9 का संशोधन।
खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ग) संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसरण में, 31 जुलाई, 2015 से भारत की एक सौ ग्यारह बस्तियों और बांग्लादेश की इक्यावन बस्तियों के आदान-प्रदान के परिणामस्वरूप, संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 में ऐसे संशोधन कर सकेगा, जो सुसंगत क्षेत्रों को उसमें सम्मिलित करके तथा उसमें से सुसंगत क्षेत्रों को अपवर्जित करके आदेश को अद्यतन बनाने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।”।

अध्याय 3

परिसीमन अधिनियम, 2002 का संशोधन

धारा 11 का संशोधन। 3. परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, निम्नलिखित परंतुक 2002 का 33 अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु निर्वाचन आयोग, संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसरण में, 31 जुलाई, 2015 से भारत की एक सौ ग्यारह बस्तियों और बांग्लादेश की इक्यावन बस्तियों के आदान-प्रदान के परिणामस्वरूप, उक्त आदेशों में ऐसे संशोधन कर सकेगा, जो सुसंगत क्षेत्रों को उसमें सम्मिलित करके तथा उसमें से सुसंगत क्षेत्रों को अपवर्जित करके उक्त आदेश को अद्यतन बनाने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।”।

विमानवहन (संशोधन) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 12)

[21 मार्च, 2016]

विमानवहन अधिनियम, 1972

का और संशोधन

करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सङ्गठनों वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विमानवहन (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

संक्षिप्त नाम।

2. विमानवहन अधिनियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4क का संशोधन।

धारा 4क की उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(6) केंद्रीय सरकार, अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम की तीसरी अनुसूची के अध्याय 3 के नियम 24 के अधीन निषेपागार द्वारा उनरीक्षित दायित्वों की सीमाओं को, उस अनुसूची के उक्त अध्याय के अधीन वाहकों के दायित्वों और नुकसानी के लिए प्रतिकर की सीमा का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए प्रभावी कर सकेगी।”।

नई धारा 8क का
अंतःस्थापन।

नियम बनाने की
शक्ति।

3. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“8क. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए जाने और जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी। किन्तु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।”।

सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 21)

[5 मई, 2016]

सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925
 का और संशोधन
 करने के लिए
 अधिनियम

भारत गणराज्य के सङ्गठनों वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।
- (2) यह 8 अक्टूबर, 2003 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

संक्षिप्त नाम, और
प्रारंभ।

1925 का पंजाब
अधिनियम 8

2. सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 49 धारा 49 का संशोधन।
के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु ऐसे किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जो—

- (क) अपनी दाढ़ी या केशों को कतरता या मूँडता है;
- (ख) धूम्रपान करता है; और
- (ग) अल्कोहाली पेयों का सेवन करता है।”।

3. मूल अधिनियम की धारा 92 के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु ऐसे किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जो—

- (क) अपनी दाढ़ी या केशों को कतरता या मूँडता है;
- (ख) धूम्रपान करता है; और
- (ग) अल्कोहाली पेयों का सेवन करता है।”।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 24)

[6 मई, 2016]

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सङ्गठनों वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का, किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में इस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

संआ० 19

2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में,—

संविधान (अनुसूचित जातियां)
आदेश, 1950 का
संशोधन।

(क) भाग 5 – हरियाणा में,—

(i) प्रविष्टि 1 के पश्चात्, अंतःस्थापित करें,—

“1क. अहेरिया, अहेरी, हारी, हेरी, थोरी, तुरी”;

(ii) प्रविष्टि 29 के पश्चात्, अंतःस्थापित करें,—

“29क. राय सिख”;

(ख) भाग 8 – केरल में, प्रविष्टि 36 और प्रविष्टि 37 के स्थान पर रखें,—

“36. मलयन (कन्नूर, कासरागोड़, कोझीकोड़ और वयनाड ज़िलों में समाविष्ट क्षेत्रों में);

37. मण्णन, पथियन, पेरुमण्णन, पेरुवण्णन, वण्णन वेलन”;

(ग) भाग 13 – ओडिशा में, प्रविष्टि 8 और प्रविष्टि 49 का लोप करें;

(घ) भाग 19 – पश्चिमी बंगाल में, प्रविष्टि 60 के स्थान पर रखें—

“60. चेन”;

(ङ) भाग 23 – छत्तीसगढ़ में, प्रविष्टि 25 के स्थान पर रखें—

“25. घासी, घसिया, सईस, सहीस, सारथी, सूत-सारथी, थनवार”।

उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 27)

[4 मई, 2016]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सङ्गठनों वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1951 का 65

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 है। संक्षिप्त नाम।
2. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 29घ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“29घ किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की गई कोई शक्ति अथवा की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई या बात के बारे में यह समझा जाएगा और सदैव से यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार विधिमान्य रूप से प्रयोग की गई है अथवा की गई है अथवा उसके किए जाने का लोप किया गया है मानो उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा पहली अनुसूची में किया गया संशोधन सभी तात्काल समयों पर प्रवृत्त था और इस प्रकार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कोई वाद या दावा या अन्य कार्यवाहियां इस प्रकार संस्थित, कायम या जारी नहीं रखी जाएंगी।”।
3. मूल अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, पहली अनुसूची में, “26. किएवन उद्योग” शीर्षक के स्थान पर, “26. किएवन उद्योग (पेय एल्कोहल से भिन्न)” शीर्षक रखा जाएगा। पहली अनुसूची का संशोधन।

भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्यांक 1, तारीख 29 जनवरी, 2016,
खण्ड LII का शुद्धिपत्रः—

पृष्ठ	धारा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
3	—	10	वर्ष में संसद्	वर्ष में संसद्
23	16	(1)	व्यक्ति के	व्यक्ति
68	3(4)	4	प्रत्याभूत	प्रत्याभूत
70	4	2	अविधिमान्यता प्रभाव या परिणाम पर नहीं पड़ेगा;	अविधिमान्यता या परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;
100	23	13	23(ख)	23(ग)
111	55	8	रकम का अवधारणा	रकम का अवधारण
118	75	1	अधिनियम की धारा 27ज	अधिनियम की धारा 271ज

डॉ जी० नारायण राजू
सचिव, भारत सरकार।